II

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1983, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 26th August, 1983."

Sir, I lay a copy of the second Bill on the Table.

DISCUSSION UNDER RULE 176—

Non-implementation of the Recommendations contained in the Report of the Mandal Commission by the Government— contd.

श्री चांद राम (हरियाणा) : वाइस चेयरमैन साहब, हमारा संविधान बनाने वाले इस बात के लिए तैयार थे और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हमारे देश में पिछड़े वर्गों के लोग, शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के अलावा दूसरे भी लोग हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है । जब हमारा संविधान पास हो रहा था तो उस वक्त बहुत सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेम्बरों ने बैकवर्ड क्लासेज की परिभाषा करने की कोशिश की और उस पर वाद-विवाद चलता रहा कि कौन से लोग बैकवर्ड क्लासेज में जोड़े जायें । डा० अम्बेदकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे । उन्होंने कहा कि यह बात लोकल गवर्नमेन्ट पर यानी स्टेट गवर्नमेन्ट्स पर छोड़ दी जाए । इस पर बड़ी चर्चा होती रही । हमारे देश में कुछ सोशियली बैकवर्ड लोग हैं, उनको बैकवर्ड करार दिया जाये, जो इकनोमिकली बैकवर्ड हैं उनको बैकवर्ड करार दिया जाये, कुछ लोग एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको बैकवर्ड करार दिया जाये, आदि आदि, इस विषय पर वाद-विवाद होता रहा । संविधान सभा के बहुत से सदस्य थे जिनमें श्री टी० टी० कृष्णामाचारी, श्री के० एम० मुन्शी और हमारे हरियाणा के पंडित ठाकुर दास भार्गव जो एक बहुत बड़े वकील थे, ये सब लोग ब्राह्मण थे । उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि अभी बैकवर्ड क्लासेज सुविधायें मिलनी चाहियें । संविधान की धारा के मुताबिक, धारा 340 के मुताबिक प्रेजीडेन्ट एक कमीशन बनाये । वह इसको देखे । उसमें 'में' और 'शेल' पर चर्चा होती रही । अन्त में यह माना गया कि प्रेजीडेन्ट एक कमीशन बनाएंगे । उसके मुताबिक सन् 1953 में एक कमीशन बनाया गया । उस कमीशन की रिपोर्ट सन् 1955 में आई । भारत सरकार ने स्टेट सरकारों को यह रिपोर्ट भेजी । स्टेट् गवर्नमेन्ट्स ने अपने अपने क्षेत्रों में बैकवर्ड क्लासेज घोषित कर दिये । इसके लिए एक लिस्ट बनी । कुछ कंसेशन भी दिये गये । थोड़े-बहुत सर्विसेज में कंसेशन दिये गये, थोड़े बहुत तालीम में दिये और थोड़े बहुत जमीन की अलाटमेन्ट में भी दिये गये । यह सब होता रहा और आगे भी चलता रहा । अब हमारे सामने मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया है और कांग्रेस इस संबंध में क्या कर रही है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कांस्टिट्यूशन में पहली एमेन्डमेन्ट 1951 में आई तो उस पर पंडित नेहरू ने बोलते हुए अनेक बातें कहीं । वह एमेन्डमेन्ट मद्रास गवर्नमेन्ट के आर्डर पर किया गया था । रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डर को नल एण्ड वोयड करा दिया था । उसके बाद यह फर्स्ट एमेन्डमेन्ट आई थी । इस पर

[श्री चांद राम]

पंडित नेहरू ने काफी कुछ कहा था और उसको सपोर्ट किया था ।

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation or allotment of seats in favour of any backward class of the citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services of the State."

इसमें जो यानी आर्टिकल 16 में क्लाज 4 एड की गई है उसमें साफ कहा गया है । आर्टिकल 15 के अन्दर भी क्लाज 4 एड की गई ।

"Nothing in this article or in Clause 2 of Article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

वाइस-चेयरमैन साहब मैंने ये दोनों क्लाज पढ़ दी हैं। आर्टिकल 15(4) क्लाज को मैंने पढ़ा है । जो लोग सोशियली और एजूकेशनली बैकवर्ड हैं उनको ही लेना पड़ेगा । उस हिसाब से तो यह ही होना चाहिए । इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो मिनिट आफ डिसेन्ट है उसमें श्री एल० आर० नायक ने क्या लिखा है, उसको भी देखने की जरुरत है । बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है । अगर आप इस लिस्ट में इस समय देखेंगे कि कितनी पिछड़ी जातियां हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पोजेन्ट क्लास के हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक-दो हजार बीघा जमीन है, जिनके गांव के गांव, ब्लाक के ब्लाक, रीजन के रीजन हैं । अभी हमारे साथी श्री हुक्मदेव नारायण यादव मनु स्मृति की बात कह रहे थे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हरिजनों और अछूतों पर अर्टेसिटी कौन लोग करते हैं, कौन लोग रेप करते हैं ? इनमें अधिकतर इंटर मीडियेट किसान बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जो लोग शूद्र की लिस्ट में आते हैं, उन लोगों की तरफ से होते हैं । क्यों होते हैं, क्योंकि ये जमीन के मालिक हैं, और उनकी तादाद ज्यादा है ।

महोदय, इस देश में तीन किस्म की कैटेगरीज होनी चाहिए । एक कैटेगरी तो कांस्टिट्यूशन ने रिकाग्नाइजड की है, शेड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स अछूत जो एक तरह से लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी ही चाहिए । नौकरी में उनका आरक्षण पूरा नहीं हुआ, अभी तक उनको जमीन नहीं मिली, सोशल स्टेट्स नहीं मिला, यह एक क्लास है और दूसरी क्लास जो है वह बैकवर्ड क्लास है, आर्टिजन क्लास है, प्रोफेशनल क्लास है । मैं अपनी स्टेट हरियाणा की लिस्ट में पढ़ रहा था करीब-करीब वहीं जाति हैं जैसे लोहार, कुम्हार, दर्जी, सुनार, मनियार, ठठेरा, धोबी, बैरागी, तेली, बंजारा, पासी, चिड़ीमार, धोवर, मदारी, सिकलीगर, सोगीकाट, आदि जो इसमें आते हैं । लेकिन साथ साथ यह भी है जो जमींदार है अच्छी हालत में, जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, हरिजन हम कहते हैं कि वे कमीन जाति के हैं, नीच जाति के कहे जाने वाले हैं । मगर इन से थोड़ा ऊपर इन लोगों को सोशली बैकवर्ड क्लास जैसे मैंने कहा, थोड़ा उजले कमीन कहते हैं । हमारी जो वाजिबुलकर्ज शरत बंदी थी, चौधरी सुल्तानसिंह बैठे हैं यहां जाट बिरादरी से है, जो गांव में शरत बंदी होती है, उसके अन्दर, अंग्रेजों के टाइम में ये 'कमीन या कामी' कहे जाने वाले जो थे, लगान देते थे। जिसका नाम था कूढ़ी कमीनी ।

श्री लाडली मोहन निगम : कमीन का मतलब होता है जो कमा कर खाता है । तो ये तो कमाकर खाते हैं, लेकिन जो हराम का खाता है, वह कमीन नहीं हो सकता ।

श्री चांद राम : लेकिन गांवों में कमीन शब्द का मतलब नीच माना जाता है । कमीन का मतलब है मीन, नीच । इसको अगर आप देखें तो अनटचेबिलिटी ऐक्ट में काग्जीनेबल आफेंस है अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाये ।

तो जमींदार इन पर टैक्स लगाते थे । जो जमींदार और लैंड होल्डर थे, वे इन्हें किसी गांव में बसने के लिये हाउस साइट देते थे और इन पर टैक्स लगाते थे । ये सारे मैंने शैड्यूल्ड कास्ट के भी बताये, बैकवर्ड क्लास के बताये और सोशली बैकवर्ड क्लास खाती, लोहार, कुम्हार बताये, ये सब टैक्स देते थे गांव के जमींदारों को । उसका नाम था कढ़ी कमीनी । करीब-करीब हिन्दुस्तान में यही दो क्लासेज हैं जो अछूत और सामाजिक पिछड़ेपन की कैटेगरी में आते हैं । तीसरी क्लास एक और है जो इस कमीशन की रिपोर्ट में आई । जैसे हमारे यहां अहीर लोगों को बैकवर्ड सूची में दिखाया है । इनमें कुछ गरीब हैं लेकिन राव वीरेंद्र सिंह अहीर हैं और राव वीरेंद्र सिंह की क्लास के कुछ लोगों के पास सैकड़ों बीघा जमीन है, इतने बीघा जमीन के वे मालिक हैं । इनको बैकवर्ड क्लास करार दे दिया इस रिपोर्ट में । अगर इस सूची में अहीर के साथ नाई , लुहार और कुम्हार रहेगा तो अगर नौकरी मिलेगी तो वह अहीर को मिलेगी, नाई कुम्हार को नहीं मिलेगी, दोनों को कलाज कर दिया, जोड़ दिया इसलिये यह जो कमीशन की रिपोर्ट है इसमें बहुत बड़ी कमियां हैं, बहुत बड़ी खामियां हैं । हमारी गवर्नमेंट ने ठीक कहा है कि इस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा । स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है और उन्होंने उसमें कहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर राय दो । एल० आर० नायक ने एक अपनी रिपोर्ट अलग दी है और कहा है कि यह ठीक है कि कांस्टिट्यूशन में सोशली एण्ड एजूकेशनली बैकवर्ड ही को बैकवर्ड माना है । सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है । वह कहते हैं कि जो सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड हैं उसको सुप्रीम कोर्ट बैकवर्ड मानती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से सोशली बैकवर्ड क्लास ही नहीं एजूकेशनली, एकोनामिकली भी बैकवर्ड होंगे, लेकिन सोशली बिल्कुल नहीं हैं और उस नाम पर यह जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है, यह उस लेकुना से सफर करती है । तो वाइस चेयरमैन साहब, ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करता हूं । इसमें बहुत सी बातें थी जो मैं कहना चाहता था लेकिन बहुत से साथियों ने कहा, मेरी उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश में आज जरूरत इस बात की है जब मैं जनता पार्टी की सरकार में शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उस वक्त मैं यहां मोटर व्हीकल एक्ट लाया था और पार्लियामेंट ने उसको पास किया था और उसमें मैंने लेजिस्लेटिव रिजवशन दी थी । मेरे ख्याल में यह एक ही ऐसा कानून होगा हिन्दुस्तान में जिसमें लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है परमिट वगैरह देने के बारे में । जो स्टेट बुक में है । उसमें हमने तीन क्लासेज बनाई थीं । मैं समझता हूं एक तो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का है, उसका आबादी के हिसाब से, दूसरा सोशली बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं जैसे आर्टिजन वगैरह और तीसरी क्लास जो हमने बनाई थी वह इकोनोमिकली बैकवड क्लास थी जिनके पास थोड़ी सी

[श्री चांद राम]

जमीन हो जैसे इसमें चाहे वो जाट हो, ब्राह्मण हो, क्षत्री हो, अरोड़ा, बनिया, मुस्लिम, सिख, ईसाई । यहां चर्चा होती है, अल्प संख्यक लोगों की चर्चा होता है मैं सेठी साहब से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार को अमेंडमेंट करना पड़े तो जो सोशली, एजूकेशनली वीकर सेक्शंस हैं, मण्डल कमीशन ने कहा है कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बैकवर्ड क्लासेज में दो क्लासेज हैं एक फारवर्ड क्लास और दूसरी बैकवर्ड क्लास, वह नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि अगर उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़े तो हम अमेंडमेंट करें । इस प्रकार का अमेंडमेंट किया जाए । शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिये तो संविधान के अनुसार रिजर्वेशन है । दूसरा जो सोशली बैकवर्ड क्लासैज हैं जैसे आर्टिजन क्लास है पेशे में जिनको कमीन कहते हैं और तीसरी उन की एक सब-क्लास बनाई जा सकती है जो जमीन के मालिक हैं लेकिन गरीब हैं, कमजोर हैं, आमदनी थोड़ी है, चौथी क्लास जो इकोनोमिकली बैकवर्ड है । एक ब्राह्मण जो ऊंची जाति का है मनुःस्मृति ने बना दिया, जो पहले एक अमीर आदमी था लेकिन अब उसके पास साधन नहीं हैं, एक क्षत्री है उसके पास साधन नहीं हैं, वह अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकता है तो क्या उसके बच्चे की फीस माफ नहीं होगी ? हमको देखना चाहिए कि उसकी फीस माफ हो । आज वह इसीलिये हरिजन से जलता है क्योंकि गरीब होते हुये भी उसको फीस देनी पड़ती है खर्चा करना पड़ता है, नौकरी में नहीं आता है और मेडीकल कालेज में दाखिला नहीं होता है इसलिये मैं समझता हूं कि इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास को सरकार को लाना चाहिए उन के लिये भी रिजर्वेशन करना चाहिए । **(समय की घंटी)** मैं अभी दो मिनट बोल करके आपसे छुट्टी लेता हूं। मैं समझता कि जो कुछ होता है चाहे शैड्यूल्ड कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो उसमें जो कुछ प्रावधान है जो मिलता रहा है वह थोड़ा है । हम लोग रेडियों पर बोलते हैं कि हमने हरिजनों को जमीन दे दी लेकिन सवाल है कितनी दे दी। हम ने कहा कि कर्जा दे दिया है कितना कर्जा दे दिया है ? अगर सौ हरिजनों को एक लाख रूपया देंगें तो कहेंगे एक सौ हरिजनों को दे दिया लेकिन उसके साथ एक लाख नहीं बतायेंगे उसके मुकाबले में सरमायदारों को 10–10 लाख, 10–10 करोड़ रूपया बैंक से देते हैं। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। जो हम एलोकेशन करते हैं उसको क्वांटम ज्यादा होना चाहिये, ज्यादा करें। इस मामले में आम शिकायत इस मण्डल कमीशन ने भी लिखी है, वह यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गर्वनमेंट्स को मदद नहीं देती है और मैं समझता हूं कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को इन मोडिफिकेशन्स के साथ सरकार को मान लेना चाहिये । खास तौर पर हमारी 31 के करीब स्टेट्स और यूनियमन टैरिटरीज़ हैं, इनमें से 18 में पहले से ही बैकवर्ड क्लासेज–बाकायदा तौर पर घोषित हुई हैं और वह मानी गई हैं, उनको कुछ रियायतें मिलती हैं और दूसरी स्टेट्स जिन्होंने नहीं माना है उसमें भी उन्हीं बातों को मान लेना चाहिये, लेकिन हमको जमीन के मामले में, धन देना के मामले में कोटा परमिट के बारे में जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन किया था वह करना चाहिये। लोग स्टील का कोटा लेते हैं, केमिकल का कोटा लेते हैं, दूसरे लोन लेते हैं तो बैंकों में यह है कि इतना तुम गरीब लोगों को दो तो जब तक यह नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है । इसलिये हमारी प्रधान मंत्री जी ने दे स्कीमें ऐसी बताई हैं और जो बीस-सूत्री कार्यक्रम है वह बहुत

अच्छा है । सवाल इम्पलीमेंटेशन का है । इम्पलीमेंटशन हो । चाहे अपोजिशन के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों उन सब को ब्यूरोक्रेसी को मजबूर करना चाहिये कि जो सरकार की मंशा है उसपर अमल किया जाये । तो मैं आशा करता हूं कि जो 3 क्लासेज हैं खास तौर से इकोनोमिकली वीकर सक्शंस जो आर्टिकल 46 में भी प्रावधान है कि इकोनोमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिये रियायतें दी जायें और स्पेशल केअर दी जाएगी । तो इकोनोमिकली वीकर सेक्शंस की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है । इसी वजह से आज एक प्रकार का कनफिलिक्ट है अन्तर्द्वन्द है कि हरिजनों को मिल गया दूसरों को नहीं मिला । नान शैड्यूल्ड कास्ट आर्गेनाइजशन बने हुए हैं रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ने के लिये तो उन सब में आपस में एक दीवार खड़ी नहीं होगी । वह नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त सवाल अमीर और गरीब के नाम से होगा । तो मैं समझता हूं कि सरकार का फर्ज है कि गरीब के नाम से मदद की जाय, किसी जाति के नाम से मदद नहीं दी जाये । कुछ लोगों को जाति के नाम से मदद की जा सकती है, कुछ अर्से के लिये दी जा सकती है लेकिन अल्टामेटली हमें गरीब के नाम से देनी पड़ेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट का इनमोडीफिकेशंस के साथ समर्थन करता हूं । जहां तक रिजरवेशन का सवाल है नौकरियों में वह तो देना ही चाहिए । इसलिये मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट का इन शब्दों क साथ सपोर्ट करता हूं ।

DR. (SHRIMATI) SATHIAVANI MUTHU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, this is a sorry state of affairs to see that we are discussing Mandal Commission Report to give reservations to the backward classes on the basis of social and educational backwardness for the second time in this House. Even after 36 years of independence, we cannot form an egalitarian society. We talk much about the casteless society and equality among all but we have failed to achieve this goal.

(The Vice-Chairman (Shri Syed Rahmat Ali) in the Chair.

The Report in its first page says that it is equality only among equals; to equate un-equals is to perpetuate inequality. Sir, day by day, the caste barrier is increasing. Day in and day out, we are discussing about atrocities caused by the caste Hindus on the Harijans. We still cannot stop it either by legislation or by any law and order. The Scheduled Castes were given Constitutional provisions for upliftment both economically and educationally to bring them on par with other communities, because they are suffering from the stigma of untouchability. But today, Sir, we are discussing about the backward classes, that is, touchables, about their backwardness, who are in a majority in our society. They constitute 50 per cent of the population. So, instead of eradicating the castes we are manoeuvring the growth of casteism. We are trying to list out backward classes among us, not only economically or educationaly but socially also. Sir, Kaka Kalelkar listed out in 1956, 2,399 backward communities and now Mandal Commission has given in its report in 1980, 3,743 backward communities. If you delay for some more years, I think, the number will shoot up to even 5,000 communities. Increase in the number shows the anxiety of the communities to be included in the list so as to enjoy the concession given by the Government for education and employment. To please the communities in the various States, they have to include them in the backward classes' list and to get their votes also; but here I would like to quote the statement by our hon. Minister, Mr. P. C. Sethi in the Lok Sabha. He says: "When this data was analysed, the Commission found that it gave rise to many anomalies which were not compatible with accepted norms for backwardness, with the result that the Commission had to rely more on the list already announced

[Dr. (Shrimati) Sathiavani Muthu]

by the State Government or on the data provided by the Registrar. What I am trying to state is, the criterion for accepting a community to be included among backward classes has to be such that it stands the test of social and educational backwardness." This is the statement of our hon. Home Minister which he has made in the Lok Sabha. The list is not prepared properly and our hon Home Minister is not satisfied with the list. Therefore, he is trying to correct it. This is the position in regard to the list, the preparation of the list.

I would like to mention one more point in relation to the statement of the hon. Home Minister in the other House. The Government has accepted that the economic condition of the communities should also be taken into consideration for inclusion in the list. But the Mandal Commission has not recognised this aspect. This is the view which has been expressed by the hon. Home Minister in the Lok Sabha.

Sir, in this context, I would like the Government to consider this important point. Whatever concessions the government gives, it is enjoyed by a handful of the people in the respective communities, who were and are very much conscious about this. These concessions were and are being enjoyed by a handful of the people, as I said, like Government servants, teachers and some village officials, but not by all. Most of the people in the villages are not aware of these concessions. If the economic condition of the people in these communities is not taken into consideration, only the children of the rich people in these communities will be benefited.

In this regard, I would like to bring to the notice of the House the reservation given to the backward classes in my State, Tamil Nadu. Sir, our State is a pioneer in providing reservation, proper representation, to all communities since 1927. This was called the Communal GO. Our Justice Party leaders, under the leadership of the late Shri Muthiah Mudaliar who was the Chief Minister, adopted this Communal GO. I would like to point out that in page 10 of the Mandal Commission's Report, this Communal GO has been quoted. Before 1947, non-Brahmin Hindus were allotted 5|12, that is five out of twelve. After 1947, this was increased to six out of twelve. This means, a quota of 50 per cent was provided to the non-Brahmin Hindus before 1947. In the case of Brahmins, it was two out of twelve before 1947 and two out of fourteen after 1947. In the case of the Scheduled Castes, it was one out of twelve and two out of fourteen. In the case of Anglo-Indians and Christians, it was two out of fourteen before 1947 and one out of fourteen after 1947. In the care of Muslims, it was two out of twelve before 1947 and one out of fourteen after 1947. In the case of Backward Classes, the quota after 1947 has been two out of fourteen. This was opposed, this allotment in the Communal GO was opposed, by the Congress leaders. But our Thanthai Periyar, who was in the Congress then, fought against this opposition, fought for the case of backward classes and when he failed to convince the Congress leaders, he had to resign from the Congress Party. This was one of the reasons for his resignation from the Congress. Some filed cases against this in the Madras High Court and got this struck down. Again, in 1951, this was taken up by the Opposition and reservation was provided for the backward classes to the tune of 25 per cent.

In 1971, this was increased to 31 per cent. Now, under the rule of All-India Anna DMK, under the leadership of our Chief Minister, Puratchi Talaivar, MGR, this reservation for the backward classes has been increased to 50 per cent.

Hon. Members from the opposite demanded that reservation should be provided for women. Sir, I would like to support this suggestion and

here I would like to mention with pride that our All-India Anna DMK Government, has reserved 18 per cent for women in Tamil Nadu. Our Chief Minister, Puratchi Talaivar, MGR, has taken into account the economic condition aslo as one of the criterian along with social and educational background. A landlord, a businessman, an IAS officer and other well-to-do people may declare that they are educationally and socially backward so as to get reservation for their children. So, Tamil Nadu Government has fixed the income-limit of Rs. 9000 per year as one of the criteria so that even a labourer, a peon, a sweeper, a domestic servant, a carpenter or a barber will be able to get the reservation. From amongst these 3743 communities all the poor are entitled to get reservation in Tamil Nadu. Our Government has fixed the income-limit of Rs. 9000 so that those who are getting above Rs. 9000 per year will not be entitled to get the concession even though they come from these three thousand odd communities. Those who are getting below Rs. 9000 per year, they may be enjoying the concession given to the backward classes.

So, I request the Government to consider and implement this point also. At least, the Government should not delay its implementation. Otherwise, it will lead to many complications.

The Minister has stated that another Committee of Secretaries under the chairmanship of the Chief Secretary will give the report on the Mandal Commission. I do not know the reason why another Committee is formed. The reservation of 15 per cent and 7½ per cent to Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively is already there, but it is not implemented fully. Only four or five per cent reservation is given. The implementation of reservation is done by the bureaucrats. We, the politicians, may fight here and may pass the legislation, but the implementation is not in our hands. So, they should gear up the official dom of the Government to implement al that is passed by us. Then only think it will bear fruit for the society Even it creates enemity among othe caste Hindus and they are agitatin against the concession being given t the Harijans.

Sir, we have seen the agitation i Gujarat by learned medicos and othe upper caste learned people to sto reservation for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes. But I hop there will be no such agitation again this reservation. So, I welcome th and request speedy implementatio with a consideration of the econom conditions also along with the soci and educational background.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) उपसभाध्यक्ष जी, मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि देश के हित में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आयी है उसको अच्छे ढंग से विचार करके, हर पहलू से विचार करके जितनी जल्दी हो सके लागू कर दें। विलम्ब करने से नुकसान होगा और जइम्प्लीमेंट करने से फायदा होगा। मान्यवर, हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज की पूरी आर्थिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुये यह निर्णय किया था कि एक ऐसे कमीशन का निर्माण किया जाय जो इस देश के सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों को आइडेंटिफाई करे और उनके उत्थान के लिये क्या-क्या किया जाय इस पर अपनी रिपोर्ट दे। संविधान की 340 धारा के आधार पर यह निर्णय किया गया था कि एक कमीशन बैठाया जाय। इसी धारा के अन्तर्गत काका कालेलकर कमीशन का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उस समय देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और काका कालेलकर एक उच्च कोटि के महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, विद्वान थे, चिंतक थे और देश भक्त थे। उन्होंने देश के कोने-कोने में वर्षों दौरा करके पिछड़ी जातियों में जो लोग सोशली और ए

[श्री रामानन्द यादव]

केशनली पिछड़े थे उन्हें आइडेंटिफाई किया। उनकी संख्या बतायी और उनके उत्थान के लिये क्या होना चाहिए यह भी बताया। वर्षों वह घूमे और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद वर्षों वह रिपोर्ट पड़ी रही, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अभी हमारे विरोधी पक्ष के भाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तत्काल इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आये तो आप क्यों नहीं काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर सके। आप के रास्ते में कौन बाधक था। आपके दिल में सचमुच में अगर जलन थी और आप सोचते थे कि पिछड़ी जातियों का उत्थान हो तो आपको तत्काल उस कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए था। आपने उस कमीशन की रिपोर्ट को खटाई में पड़े रहने के लिये एक नये कमींशन को जन्म दिया जिसका नाम मंडल कमीशन था और आप उस समस्या को टालना चाहते हैं जिसको पहले के लोगों ने टाला था। आप ने उस को टाल कर अच्छा नहीं किया आपको तत्काल उस को इंप्लीमेंट करना चाहिएथा।

श्री भा० दे० खोबरागडे : अभी आप तो इसको इंप्लीमेंट करो।

श्री रामानन्द यादव : मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप के सामने आयी है। इसमें भी इन्होंने गांवों में घूम कर, जांच करके, एसोशिएशन्स से मिलकर, विद्वानों से मिलकर, अनेक तबकों के लोगों से मिलकर उनकों इंटरव्यू करके अपनी रिपोर्ट दी है। आप भूलिये मत कि मंडल कमीशन ने यह कहा है कि सोशली और एजूकेशनली जो लोग बैकवर्ड हैं उनके लिये इतना परसेंट रिजर्वेशन आप सर्विसेज में कर दीजिए। क्यों सर्विसेज में वे रिजर्वेशन कराना चाहते हैं इस पर मैं बाद में जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि फार्वर्ड क्लास में भी एकोनामिकली बैकवर्ड जो हैं उन लोगों को भी आप रिजर्वेशन दीजिये इकोनामिक आधार पर लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों को जो सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड हैं उन को जरूर दीजिये। यह निर्विवाद है कि इस देश में जो जितनी ऊंची जाति का है उसके पास उतना ही ज्यादा धन चल, और अचल संपत्ति उतनी ही ज्यादा है। उसके पास शिक्षा अधिक है, सामाजिक अधिकार अधिक हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, आप देखेंगे कि हमारे हिन्दुस्तान में समाज का जिस तरह से गठन है, चाहे वह मुस्लिम समाज हो चाहे क्रिश्चियन समाज हो, जो कंवर्टेड हैं, मल्लाह थे और क्रिश्चियन बने हैं या पहले मछुए थे, सब पर यह बात लागू होती है। आज जिस समाज का निर्माण हुआ है उसमें आप देखेंगे कि जो जितनी ऊंची जाति का है उसकी उतनी ही माली हालत और सोशल हालत और इकोनामिक और पोलिटिकल हालत, चारों हालात उतनी ही अच्छी हैं और जो जाति नीची है, जो सबसे नीची है उसके पास उतने ही आर्थिक साधन सोशल, एजूकेशनल या पोलिटिकल कम हैं और वे सारे अधिकारों से वंचित हैं। उनके पास मीन्स आफ प्रोडक्शन नहीं हैं। गांव का डोम जो है उसके पास मीन्स आफ प्रोडक्शन क्या है। वह मरने पर आग देने वाले से जो पैसा मिलता है उस पर निर्वाह करता है। जिस खाट पर मरने वाले को ले जाया जाता है जलाने के लिये उसके बांस को सुतली और दौरी और मौनी को लेकर बाजारों में बेंचता है और उससे अपनी जीविका निर्वाह करता है। क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं? उसके पास कौन सा दूसरा साधन विद्यमान है जिसके माध्यम से वह अपनी जीविका

का निर्वाह कर सके। इसलिये मंडल कमीशन ने निश्चय किया कि एजूकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए और यह बात आपने पहले भी की है। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट स्टेटों में थी उन्होंने स्टेट बैकवर्ड कमीशन बनाए। जनता पार्टी के आने के पहले भी बैकवर्ड कमीशन बने थे, वहां भी सोशली और एजूकेशनली बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करके रिजर्वेशन का रिकमंडेशन किया था सर्विसेज में। आपने उसको माना भी, उसके अनुसार आपने काम भी किया, यहां तक कि जब पंडित नारायणदत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तब यह हुआ था। लेकिन मुझे तो ताज्जुब होता है कि इन मित्रों से समाज का भला होता क्या? ये नहीं चाहते हैं कि समाज का परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से इस देश में हो सके। प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के रास्ते से पीसफुल ट्रांजिशन आफ सोसायटी वह नहीं चाहते हैं। वे प्रबुद्ध होकर भी, समझदार होकर भी थोड़े से निहित स्वार्थों के लोगों के कारण जिन के हाथों में सदियों से सामाजिक, राजनीतिक ताकत है वह उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज भी गांवों में सोसायटी को वह रूल करता है, हमारा और आपका रूल वहां नहीं चलता है। सोसायटी में जो प्रीवेलेंट रूल्स है वह गांवों में उन्हीं से शासित होते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कौन सा गुनाह किया है मंडल कमीशन ने और यह कह दिया बैकवर्ड क्लासेज को इतना परसेंट दे दीजिये सोशल और ऐजुकेशनल बैकवर्डनैस को आइडेंटिफाई करके? अगर ऐसा दे देते तो भला होता समाज का और हिंसक क्रांति से यह देश बच सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। हम नहीं चाहते हैं कि उन भाइयों की तरह जल्दीबाजी में कोई कदम उठाया जाए। इससे देश का हित नहीं होगा। जिस तरह की आज की स्थिति है उसमें हम कोई पोलिटिकल कपिटल आऊट आफ मंडल कमीशन रिपोर्ट आपकी तरह नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक कैल्कुलेटेड थिंकिंग करके इस पर निर्णय लीजिये और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए।

मान्यवर, वही लोग इसका विरोध करते हैं जिनके स्वार्थ हैं। यह बात सही है कि अडल्ट फ्रेंचाइज आप नहीं कर सके। क्या इससे हम समाज का कोई विशेष परिवर्तन कर सके हैं, आज तक नहीं कर सके हैं। जो भी अडल्ट फ्रेंचाइज से हम प्राप्त करना चाहते थे वह आज तक नहीं कर सके हैं। कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया है कि 10 वर्ष के अन्दर इस देश में कंपलसरी और फ्री एजुकेशन कर दिया जायेगा। लेकिन कहां आपने फ्री ऐजुकेशन किया है? अगर आप फ्री ऐजुकेशन कर देते तो शायद यह नौबत नहीं आती। लेकिन आपने नहीं किया। हम आखिर क्या करना चाहते हैं? आपने जो कुछ भी बैकवर्ड क्लासेज के उत्थान के लिये किया है, हरिजनों के उत्थान के लिये किया है शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के उत्थान के लिये किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुट्ठी भर नौकरशाही के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, मोस्टली जो अपर कास्ट से आते हैं, वह इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाये। इसीलिये हम चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोगों को, माइनारिटी के लोगों को चाहे वह सिक्ख माइनारिटी के बैकवर्ड हों, चाहे मुस्लिम माइनारिटी के बैकवर्ड हों, चाहे क्रिश्चियन माइनारिटी के बैकवर्ड हों, इनके लिये जो कार्यक्रम आपने बनाये हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिये लोगों को रिजर्वेशन देकर नौकरी में लाइये। नौकरी किया करते हैं, नौकरी रोटी देती है, प्रतिष्ठा देती है समाज में। आज गांव का धोबी बेचारा बी० डी०

[श्री रामानन्द यादव]

ओ० हो जाता है, उसको कुर्सी पर बैठता है और गांव का आदमी बी० डी० ओ० के दफ्तर में जाता है तो वह बी० डी० ओ० को सलाम मारता है। वह धोबी जब गांव में बैठा रहता है तो उसको भी बी० डी० ओ० के दफ्तर में जाकर बी० डी० ओ० को सलाम करना पड़ता है। इसलिये रोजी और प्रतिष्ठा दोनों नौकरी देते हैं। आज प्रतिष्ठा के लिये, रोजी के लिये यह आवश्यक है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये बहुत कुछ किया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। प्रधान मंत्री ने इसके संबंध में जैसा आपको मालूम है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिये पहले ही मुख्य मंत्रियों को यहां बुलाया था और उनसे विचार विमर्श किया था। इसके बाद विभिन्न विभागों के सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई। वह छानबीन कर रही है। सेठी साहब जैसे आदमी, जिनमें मैं समझता हूं बैकवर्ड क्लास के लिये हमदर्दी है, भाग्य से यहां होम मिनिस्टर हैं, वह इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और यह जल्दी करेंगे। इसलिये मैं बार-बार कहता हूं कि ठीक है आप इस पर पूरा विचार कर लीजिये। हर पहलू से विचार कीजिए। महिलाओं के लिये भी मंडल कमीशन ने रिपोर्ट में दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इसको किया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली): आपका वक्त खत्म हो गया।

श्री रामानन्द यादव: दो मिनट और लूंगा। जमींदारी उन्मूलन किया तो इससे किसको फायदा हुआ। इससे मोस्टली बैकवर्ड क्लास को फायदा हुआ। प्रिंसली स्टेट्स का एबोलिश किया तो इससे किसको फायदा हुआ। राजा महाराजा कौन थे? ये सब राजपूत या ब्राह्मण थे। इन सबका एबोलिशन किया। इससे फायदा जनता को हुआ जिसमें अधिकांश जनसंख्या पिछड़ी जातियों की थी। किसी समय भारत की सेंट्रल केबीनेट में पिछड़ी जातियों का काफी मात्रा में इन्फलुजन था, टिकट मिलती थीं। कांग्रेस पार्टी ने बड़े-बड़े नेता पैदा किये। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये काफी काम किया। कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि उसने काका कालेलकर कमीशन बैठाया। कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि उसने मंडल कमीशन भंग नहीं किया। अगर हमारी जगह आप होते तो कभी का भंग कर दिया होता।

श्री भा० दे० खोबरागडे: कांग्रेस के पावर में आने से पहले मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, 30-12-80 को।

SHRI NARENDRA SINGH (Uttar Pradesh): Then Congress was in power.

श्री रामानन्द यादव: कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन दी। नारायण दत्त तिवारी जी और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वे सब जानते हैं। (**व्यवधान**) जब आपकी पार्टी पावर में आई थी, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी थी तो क्या नजारा था उस वक्त, सब जानते हैं। वह हम सबको देखने को मिला। आपकी पार्टी तो आपस में लड़ने लगी। सत्यनारायण बाबू और कर्पूरी ठाकुर दोनों एक दुसरे के जानी-दुश्मन हो गये। आज दोनों आदमी मिलकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट का इमप्लीमटेशन हो इसके लिये सत्यनारायण बाबू एक तरफ झंडा लेकर खड़े हुये हैं और दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर लेकर खड़े हुये हैं। इससे लगता है नीयत उनकी साफ नहीं है। आप कुछ नहीं चाहते। आप चाहते हैं पालिटिकल इश्यू गेन करना। मैं आप से यह अपील करूंगा कि श्रीमती गांधी भाग्य से आज पिछड़ी

जातियों की ही समझिये, महिला हैं (व्यवधान) जिनके दिल में पिछड़ी जातियों के लिये बहुत कद्र है, आदर है। उन्होंने कहा है, उन पर आप विश्वास कीजिये, उनको मौका दीजिये। वे इसको अवश्य इंप्लीमेंट करेंगी। अगर उनके हाथ आप दिल से मजबूत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंदिरा जी निश्चित रूप से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगी। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर, इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हर पहलू पर विचार करके इसको इंप्लीमेंट करने की व्यवस्था करें।

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश): बहुत सुन चुके हो वतन की कहानी, मगर फिर सुनाने को जी चाहता है, भारत गारत हुआ देखकर सिर उठा डगमगाने को जी चाहता है।

मान्यवर, दोनों पक्षों के बन्धुओं की तकरीरों को सुनकर मैं भाई हुक्मदेव नारायण यादव जी की बातों का समर्थन करता हूं। भाई रामानन्द यादव जी का भी समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उनकी मजबुरी को जानता हूं, इसलिये समर्थन कर रहा हूं। अगर वे इतना न कहें तो उनको पार्टी से निकाल दिया जायेगा।

श्री रामानन्द यादव: आप बिटरनेस पैदा करके इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करने देना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली): मैम्बरान आपस में बोल कर बात न करें। श्री राम नरेश कुशवाहा जी आपको 5 मिनट मिले हैं। आप 5 मिनट में खत्म कर दें।

श्री राम नरेश कुशवाहा: श्रीमन्, यह मसला सिर्फ गद्दी का झगड़ा है। सृष्टि के आदिकाल से आज तक केवल अपनी गद्दी के लिये गरीबों को लूटा जाता रहा है। जहां पर सेठ बैठता है उस स्थान को गद्दी कहते हैं। जहां पर महन्त बैठता है उस स्थान को गददी कहते हैं, जहां पर राजा बैठता है उस स्थान को गददी कहते हैं। ये तीनों गद्दियां, सेठ, महन्त और राजा, सृष्टि के आदिकाल से लेकर दुनिया में गरीबों को लूटते रहे हैं। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। ये तीनों आपस में मिले हुये हैं। महन्त सेठ के धन की रक्षा करता है और राजा के लिये कहता है कि वे तो नरेश हैं, नर के रूप में ईश्वर हैं। यह सब गद्दी का झगड़ा है। वही ब्राह्मण जब सेठ के पास भूख से मरा हुआ जाता है तो वह कुछ नहीं देता है, लेकिन जब पोथी पत्रा लेकर जाता है तो उसका स्वागत करता है, उसको दक्षिणा भी देता है। सेठ की थैली राजा के लिए खुल जाती है। ये सब तीनों आपस में गद्दी के लिए मिले हुए हैं। प्राचीन काल की बात मैं नहीं कहता हूं लेकिन आज कारखानों में क्या होता है? अगर कहीं पर कोई हड़ताल होती है या कोई काण्ड हो जाता है तो फौजदारी का मामला मजदूर पर दर्ज किया जाता है। आज तक किसी भी मालिक को फौजदारी में गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या मजदूर दीवरों से लड़ता है? मंदिर मस्जिद सभी पवित्र हैं। सभी धर्मों में सत्ता की सांठगांठ चलती आई है और गरीबों को लूटा जाता रहा है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक नदी के किनारे तीन ठग साधू के वेश में रहते थे। वे किस तरह से काम करते थे, यह मैं आपको बताता हूं। अगर कोई सेठ उस नदी के किनारे से होकर जाता था तो पहला

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

ठग कहता था—दामोदर अर्थात् भगवान का नाम लेता था। लेकिन अपने मित्र को इशारा करता था कि इसके उदर में दाम हैं। दूसरा ठग कहता था—नारायण। यह भी भगवान का नाम लेता था, लेकिन अपने मित्र तीसरे ठग को इशारा करता था कि नाले में आने दो। तब तीसरा कहता है वासु-देवाय : 8 P.M. और उसको मारकर धन छीन लेते हैं। ऐसे ही आप गरीबों को लूटते जा रहे हो। गरीबों की मालिक आज सरकार है, आप कारखाने भी चलाते हो और मंदिर भी चलवा रहे हो और साथ ही साथ राज भी चला रहे हो। इन तीनों की आप व्यवस्था नहीं कर सकते। आज यहां पर अगले और पिछड़े लोगों का विवाद है। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में होते होंगे गरीब और अमीर, ये दो वर्ग। लेकिन हिंदुस्तान में चार वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में यहां चार वर्ग जो हैं। आप इसको समझने की चेष्टा करें। ये हैं धन बढ़ऊ, मन बढ़ऊ, धन-हीन, और मन-हीन।

श्री कल्पनाथ राय : फिर से बताइये।

श्री राम नरेश कुशवाहा : हमारे यहां चार वर्ग हैं, धन बढ़ऊ, मन बढ़ऊ, धन-हीन और मन-हीन। इसी मन-हीनता के नाते बाबू जगजीवन राम जी ने जब सम्पूर्णानन्द की मूर्ति को छुआ तो एक गरीब ब्राह्मण उसको पवित्र करने के लिये उसे गंगा जल से धोता है। इसलिये वह गरीब ब्राह्मण गरीब होते हुए भी मन बढ़ऊ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग जो धन-हीन और मन-हीन दोनों है ब्राह्मण वर्ग जो है वह उन्हें अपने बराबर नहीं मानता है। ब्राह्मण क्षेत्रीय को, भूमिहीन को नीचा समझते हैं, पिछड़ी जातियों को नीची निगाह से देखते हैं आप इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बारे में अनेक सुझाव आये हैं कि इस तरह किया जाये, उस तरह किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये आप संविधान में संशोधन करिये और "एक आदमी एक रोजगार, खेती नौकरी या व्यापार' इसको कर दीजिये। हम आर्थिक आधार पर इसको करने के लिये तैयार हैं। हम जो गरीब हैं, पिछड़े लोग हैं हमारा प्रतिशत 52 प्रतिशत हैं, लेकिन हम केवल 27 प्रतिशत मांग रहे हैं। आप कृपा करके यह कर दीजिये चाहे कोई किसी भी जाति का है, जो इनकम टेक्स देने वाला व्यापारी है, जो लाभकर जोत का किसान है, जो 500 रुपये से अधिक तनख्वाह पाता है, मूल वेतन, इन सब का रिजर्वेशन कर दीजिये और बाकी गरीबों को छोड़ दीजिये, निपटने के लिये। लेकिन जो रिक्रूटमेंट अथारिटी है उसमें बहुमत पिछड़ी जातियों का रखिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर कलेक्टर साहब को भर्ती करना है तो वह सब अपनी जाति के लोगों को भर लेगा। उत्तर प्रदेश में 2 हजार थानेदारों की भर्ती हुई।*

एक माननीय सदस्य : कब ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : दो साल पहले।

श्री राम नरेश कुशवाहा : दो साल पहले, आज के मुख्य मंत्री नहीं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं देवली और साढुपुर काण्ड में राधे और संतोष सिंह को शाही सम्मान के साथ गिरफ्तार कराया गया और लालाराम श्री राम का पता नहीं लगा और छविराम के बारे में सब को मालूम

*Expunged as ordered by the Chair.

हैं, बहुत से लोगों को अहीर होने के कारण उजाड़ा गया और जो महिला डाकू फूलनदेवी हैं उसके नाम पर बहुत से मल्लाहों को उजाड़ा गया । अपने ही रिश्तेदार, अपने भतीजे के कत्ल में मुख्य-मंत्री ने कहा कि इसके पीछे किसी का हाथ है यानी श्री धर्मवीर जी को बदनाम करने के लिये यह कहा गया और एक पासी को मार दिया गया । यह तमाशा क्या है ? क्या यह जातिवाद नहीं है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि आर्थिक आधार पर चलाने की बात कहकर यह पंचवर्षीय योजना क्यों चला रहे हैं । योजना किसके घर जा रही है । यह हमें पता है । अगर आर्थिक आधार पर समानता लाने के लिये आपकी योजना है । 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम केवल कहकर इससे आर्थिक समानता नहीं आ सकती । बजट में प्रावधान कीजिये । उपसभाध्यक्ष महोदय... **(समय की घंटी)**

मान्यवर, हम ऐसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिनका इनसे संबंध है । आप थोड़ी सी कृपा करें यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : 13 मेम्बर और बोलने वाले हैं ।

श्री श्री रामनरेश कुशवाहा : श्रीमन्, हमको अपनी बात कह लेने दीजिये ।

श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भर्ती करने वाले अगर बड़े लोग रहेंगे तो पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका उचित स्थान नहीं मिल सकता ।

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : वाइस चैयरमैन साहब, मेरा एक ओब्जेक्शन है । उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पर व्यक्तिगत इल्जाम लगाया है वह बिल्कुल गलत है, सरासर बेबुनियाद है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : आपको जानकारी नहीं है । मैं इतना ही कहूंगा आप हमको उलझाइये मत हम को बात करने दीजिए । मान्यवर, क्यों ऐसा होता है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं भारत सरकार की नौकरियों में प्रथम श्रेणी की कुल 81325 नौकरियां हैं इसमें अनुसूचित जाति और हरिजन हैं 5399 अन्य पिछड़े वर्ग हैं 4147 यानी हरिजन का 6.8 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों का 5 प्रतिशत । दूसरे दर्जे की नौकरियों में 8 प्रतिशत हरिजन आदिवासी हैं और पिछड़े वर्ग का 11.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है । तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 20.7 प्रतिशत और 21.7 परसेंट हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में सब मिला कर के यह उनका प्रतिनिधित्व है । यानी जहां म्युनिसिपल बोर्ड में सफाई कर्मचारी हैं वह शत प्रतिशत हरिजन हैं । उनको भी मिलाकर के हुआ है 18 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों का है 14 प्रतिशत । मान्यवर, कोई नहीं मांग करता है कि सफाई मजदूरों की नौकरियों में भी हमारा परसेंटेज होना चाहिए । क्यों नहीं मांग करते हैं ? नहीं करेंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में क्या है ? इसमें भी कुल 10 परसेंट पिछड़े वर्गों के लोग हैं । मैं ज्यादा आंकड़े दे कर के अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक भर्ती करने वाले लोगों के मन में पिछड़े लोगों के प्रति दुश्मनी रहेगी हम पिछड़ों का बहुमत नहीं होगा तब तक यह काम नहीं होगा । अभी कह रहे हैं कि हरिजनों को निकालिये आज

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

उनको आप 22 परसेंट तो दीजिए। अभी 22 परसेंट आपने दिया नहीं है और उनको निकालना शुरू कर दिया है। अपनी जाति के ही आदमी को बिना घूस लिये अफसर उनको तरक्की भी डियु डेट पर नहीं देता है तो यह पिछड़े वर्गों को बैड एंट्री करके पीछे धकेल देंगे। इसलिए प्रोमोशन मे भी उनको आरक्षण देना चाहिए और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आरक्षण न्यूनतम है अधिकतम नहीं लेकिन इसको इम्पलीमेंट करने वाले लोग न्यूनतम को अधिकतम बना देते हैं। कानून का कोई अर्थ नहीं है। कानून उसके मन के मुताबिक अर्थ देता है जो उसको लागू करता है। इमरजेंसी में इन्दिरा जी ने हम लोगों को जेल में डाल दिया। वही कानून की पोथी थी जब हमारी सरकार बनी तो वह भी जेल हो आई फिर आज वही है आप जब चाहें हमें भेज सकते हैं। इसलिए पिछड़े वर्गों को भी गद्दी पर बैठाइये ताकि वे भी अपने मन के मुताबिक कानन का अर्थ लगा सके। भाई हुक्मदेव नारायण यादव जी ने कहा किसी पार्टी का कोई नेता पिछड़े वर्ग का नहीं है तो मेरी परिभाषा के मुताबिक धनहीन और मनहीन चौधरी चरणसिंह एक मात्र ऐसा नेता है जो पिछड़े वर्ग का है और जगजीवन राम जी, जगजीवन राम जी को आप कैसे ब्राह्मण मानते हैं ? रामानन्द जी ने कहा कि क्यों आपने इम्पलीमेंट नहीं किया, आपने मंडल कमीशन बनाया। यह बात उनकी सही है। मोरारजी देसाई टालना चाहते थे इसलिए उन्होंने मण्डल कमीशन बनाया और चौधरी चरण सिंह जब आए तो उन्होंने उसको लागू करना चाहा लेकिन मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने....

श्री कल्प नाथ राय : चौधरी चरण सिंह पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन के विरोधी रहे हैं और उन्होंने इसका विरोध किया था।

श्री राम नरेश कुशवाहा : गलत कह रहे हैं आप। (**व्यवधान**) आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कल्प नाथ राय जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी बात आप सुन लीजिए। उस समय के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि जब आपकी सरकार काम चलाऊ सरकार है तो उसको यह काम नहीं करना चाहिये जब चुनी हुई सरकार आएगी तो आरक्षण होगा।

श्री कल्प नाथ राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी आने के बाद रिजर्वेशन का विरोध किया और राम नरेश यादव ने उसका समर्थन किया था यह . मैं कह रहा हूं आपसे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : इनकी सूचना गलत है राम नरेश यादव जी चौधरी साहब के बिना नहीं कर सकते... (**व्यवधान**)

श्रीमती ऊषा मल्होत्रा (हिमाचल प्रदेश) : मैं आपकी रूलिंग चाहती हूं कि यह जो उस वक्त उन्होंने इशारा किया उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के ऊपर वह बात रिकार्ड में देखिये कि वह चीज ठीक जा रही है कि गलत है क्योंकि यह आब्जेक्शनेबुल है और मैं नहीं चाहती कि ऐसी चीज जो कि बिना बुनियाद के है वह यहां रिकार्ड हो। यह मेरी रिक्वेस्ट है इस पर आपकी तवज्जह दिलायी जा रही है।

उपसभाध्यक्ष (सैयद रहमत अली) : मैं देख लूंगा।

श्री राम नरेश कुशवाहा : हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव है कि...(**व्यवधान**) चौधरी चरण सिंह इतने पिछड़े हैं कि जब वे राजस्व मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, अपने गांव गये तो वे बैठे हुए थे। उनके पुरोहित का लड़का प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, आकर खड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि बैठो, चौधरी साहब सिरहाने की तरफ थे, पैताना खाली था, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ खाली तो है । उसने कहा कि वह वहां बैठे हैं सिरहाने, मैं पैताने बैठूंगा ? ब्राह्मण कैसे बैठेगा, नहीं बैठे । तो यह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी शक्ति हो, जितना धन हो जितना कोई आगे बढ़ जाये लेकिन जाति नहीं बदल सकते, हिन्दु से मुसलमान हुआ जा सकता है, हिन्दु से ईसाई में धर्म बदल सकता है लेकिन हिन्दुस्तान की धरती में जाति नहीं बदल सकती और अगर इस जाति को तोड़ना है तो फिर जिम्मेदार जगहों पर, भर्ती की जगहों पर, ये हों । अगर आप ईमानदारी से इनको देना चाहते हैं योजना का लाभ, अपने बीस सूत्री कार्यक्रम का लाभ तो उनको कार्यान्वित करने के लिए उन्हीं वर्गों के लोगों को उन जगहों पर बैठाइये वर्ना सात जन्म तक आप इन गरीबों को कुछ दे नहीं सकते । इसलिए मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं पिछड़े वर्ग की प्रधान मंत्री से और जवाहर लाल की बेटी प्रधान मंत्री से तथा सेठी जी से कि हे इंदिरा जी, आप पंडित जवाहर लाल नेहरू, पुरूषोत्तम दास टण्डन, महात्मा गांधी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, सुभास चन्द्र बोस आदि तमाम लोगों की उत्तराधिकारी बनना चाहती हैं तो आप इनको तत्काल लागू करें और उससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपका भला होगा । मेरे भाई रामानन्द जी पीठ ठोंककर कहेंगे कि कहां चौधरी चरण सिंह ने आरक्षण किया, मैंने किया । तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सेहरा बांधे, सेठी जी सेहरा बांधें, इंदिरा जी सेहरा बांधें, कल्प नाथ जी सेहरा बांधकर यहां आ जायें और सेठी जी ऐलान कर दें कि हम 27 परसेंट आरक्षण और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हैं ।

श्री राम पूजन पटेल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया । मैं नहीं चाहता था कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर मैं राजनीतिक जाल में फसूं लेकिन हमारे भाई ने कुछ ऐसा प्रश्न उठा दिया कि जिसको मैं यहां पर प्रस्तुत करना उचित समझता हूं । चौधरी चरण सिंह की बात कही गयी । मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि जिस समय चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे 1967 में और 1969 में, कभी उन्होंने बैकवर्ड के आरक्षण की बात नहीं की और उसके बाद मैं यह बात बताना चाहता हूं कि जब राम नरेश यादव ने पिछड़े हुए वर्ग के आरक्षण का समर्थन किया, उसको लागू किया तो उसके बाद ही उनको हटाने की बात आई थी । तो उस समय चौधरी साहब ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और उन्होंने राम नरेश यादव को हटाया तथा उनको हटाने के बाद... (**व्यवधान**)

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : चौधरी साहब के पहले यू० पी० कैबिनेट में कोई यादव मिनिस्टर नहीं था, कोई कैबिनेट स्तर का यादव मिनिस्टर नहीं था...

श्री कल्प नाथ राय : चौधरी साहब ने खुद बयान दिया कि राजनारायण ने राम नरेश यादव को मुख्य मंत्री बनाया, मैं तो इसको जानता भी नहीं था, वह कहा है ।

श्री रामपूजन पटेल : मैं नहीं मानता कि केवल मैं यहां पर संसद में आ गया तो सारे लोगों का कल्याण हो गया । देश के पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण जिस काम के माध्यम से हो वह काम हमको करना चाहिए । जब बनारसी दास जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए उन्होंने राज्यपाल को लिखा था और राज्यपाल ने उसको नहीं माना और पिछड़े वर्गों के प्रोमोशन की जो बात थी उसको भी बनारसी दास ने खत्म किया । वह आज तक खत्म है । तो मान्यवर, मैं कैसे मान लूं कि इसके राजनीतिक पहलू को नहीं लेना चाहिए । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंडल आयोग को अगर लागू करना है तो ईमानदारी के साथ उस को गम्भीरता से सोचना चाहिए और अगर उसमें कोई कमी है तो उस कमी को साफ करके तत्काल उस आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए जिससे देश की जनता में जो बहुसंख्यक हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं किसान हैं गरीब हैं वे लाभान्वित हो सकें, उनको फायदा हो सके । अगर मैं चौधरी चरण सिंह की बात करता रहूं या कांग्रेस की बात करता रहूं, तो मैं समझता हूं कि केवल वोट लेने के लिए हम इस देश की जनता को खींचतान मचा रखी है, और उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है ।

प्रथम पिछड़ा आयोग स्व० काकासाहब कलेलकर की अध्यक्षता में 1953 में गठित किया गया था और उसको 1955 में राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उसमें बहुत सी विसंगतियां भी थीं । मैंने उसको पढ़ा है ।

उसके बाद मण्डल कमीशन आयोग 20 सितम्बर 1978 को गठित किया गया और जिसको कि 1 जनवरी 1979 को अधिकार दिया गया कि वह पूरे देश के अन्दर छानबीन करे कि आरक्षण किस आधार पर हो जिसको 31 दिसम्बर 1980 को प्रस्तुत कर दिया गया और उसके बाद मैं माननीय इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देता हूं और वह बधाई के पात्र हैं कि मंडल आयोग को आज सदन में दो-दो बार बहस करने के लिए पेश किया गया कि हमारे माननीय सदस्य जो पूरे देश से आए हैं, इसको गम्भीरता से देखें और हल करें ।

मैं आरक्षण के विषय में एक बात और रखना चाहता हूं कि डा० राम मनोहर लोहिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर इस देश में समाजवाद लाना है, तो 60 प्रतिशत आरक्षण देश के पिछड़े वर्ग को होना चाहिए और उस पिछड़े वर्ग में हरिजन थे, पिछड़ी जाति के लोग थे और महिलाएं थीं, उनकी परिभाषा के अनुसार और आज हम लोग लड़ रहें है कि किसको कितना आरक्षण दिया जाए और उसके साथ ही साथ अगर कोई भी देश सुचारू रूप से चल सकता है तो उसको संविधान का अनुसारण करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा । अगर वह संविधान के अनुसार नहीं चलता, तो देश की स्थिति बहुत गंभीर होती है ।

मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज हमारे बहुत से मित्र लोग बार-बार कहते हैं कि आर्थिक आधार आरक्षण का होना चाहिए । हमारे संविधान के अनु-

च्छेद 16 की उपधारा 4 में लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में—

"इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय मे राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षा के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी" ।

तो अगर देश, प्रदेश के अंदर—मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूं वह इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन जन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है । हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको आरक्षण देना चाहिए, उनका प्रतिनिधि वहां होना चाहिए। यह आरक्षण का मतलब म कहता हूं कि जिस प्रांत के अंदर उच्च वर्ग के लोग मैजारटी मे नहीं हैं, उनका आरक्षण जिस प्रदेश में जिस जाति के अधिकांश नहीं हैं, वहां पर उनको नौकरी मिलनी चाहिए और अनुच्छेद 16 (4) में लिखा है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खण्ड 2 की ओर, —

"कोई बात राजकीय, और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं होगा ।"

तो संविधान में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को स्थान मिलना चाहिए और उसके साथ-साथ से जिस प्रांत में जिस वर्ग का कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, उसके मुताबिक उनको स्थान मिलना चाहिए । बहुत साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है ।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ज्यादा विवाद नहीं पैदा होना चाहिए । लेकिन मैं समझता हूं कि आज इस राजनीतिक पहलू पर चौधरी साहब का, किसी का नाम लेकर के बात जो किया करते हैं, मैं उसको पंसद नहीं करता हूं और न हो वह इस देश के पिछड़े वर्ग के हित में है। इसके साथ ही मैं अनुच्छेद 340 की धारा (1) यहां पर प्रस्तुत करता हूं।

"भारत राज्य क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के साथ तथा जिन कठिनाईयों को वे झेल रहे हैं उन के अनुसंधान के लिए तथा संघ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाईयों को दूर करने और उन की दशा को सुधारने के लिए करने योग्य उपायों के बारे में, तथा उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिये जाने चाहिएं तथा जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिये जाने चाहिएं उन के बारे में, सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को मिला कर, जैसे वह उचित समझे, आयोग बना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी ।"

तो बहुत साफ, मान्यवर, लिखा हुआ है कि उतने व्यक्तियों से मिलाकर आयोग बनेगा जितना वह ठीक समझेंगे । आयोग को निहित करने वाले आदेश में आयोग स्थापित करने वाली प्रक्रिया भी परिभाषित की जाएगी ।

लेकिन मैं देखता हूं कि विरोधी दल के लोग केवल जाति पाति के ऊपर आक्षेप लगा करके इतने महत्वपूर्ण विषय को इतना कमजोर बना देते है जोकि मैं समझता हूं कि जनहित में नहीं है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को—यदि उन

[श्री राम पुजन पटेल]

में कहीं कमी है तो उन को दूर किया जा सकता है—इगनोर नहीं किया जा सकता। इस देश की जो गरीब जनता है, किसान जनता है वह बहुत दिनों तक इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंडल आयोग का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे संविधान में लिखा गया है उसका अनुकरण किया जायेगा। हमें राजनीति से ऊपर उठ कर इस पर विचार करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि चौधरी साहब ने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत काम किया तो मैं उस से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि आज तक मैंने चौधरी साहब का ऐसा बयान नहीं पढ़ा जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया हो कि जाति के नाम पर आरक्षण होना चाहिए। वह हमेशा कुछ न कुछ मिला देते हैं। हम गांव में रहते हैं, पीटे जाते हैं, चौधरी साहब पीटने वालों में है। इसलिए उन को ख्याल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंडल कमीशन के फैसले का समर्थन करता हूं और उसे लागू करने की जोर दार मांग करता हूं। मैं मंडल कमीशन के फैसले का जब समर्थन करता हूं तो इस का यह मतलब नहीं कि मंडल कमीशन के फैसले के लागू होने से कोई समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जायेगा। या समाजवादी समाज की स्थापना हो जाएगी या मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर कोई इगेलिटेरियन व्यवस्था की स्थापना हो जायेगी, बल्कि उसे लागू करने से एक हद तक सामाजिक न्याय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं इस का समर्थन करता हूं। सामाजिक न्याय की बात कोई नयी बात नहीं है। भारत के संविधान में भी सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए उदात्त सिद्धांत घोषित हैं। बहुत समय से सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में हमारे देश के विद्वानों, ऋषियों और कवियों ने मांग की। बुद्ध ने, सन्त कवियों ने, गांधी ने, जवाहरलाल आदि लोगों ने इस बात की मांग की है कि समाज के अन्दर सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। इस में कोई शक नहीं कि हिन्दु समाज के अन्दर जातीयता एक कोढ़ है। इसके चलते जातीय एकता, सामाजिक एकता स्थापित करना मुश्किल सी बात हो गयी है। जवाहरलाल जी ने जातीयता के बारे में 1954 में यह बात कही थी :—

> "On the occasion of December 2, 1954, I lay special emphasis on casteism because it is the most dangerous tendency."

फिर अन्त में उन्होंने के कहा—

> "I you do not equalise people, undoubtedly casteism will flourish in a most dangerous way."

इस प्रकार नेहरू जी ने जातीयता के बारे में यह कहा कि अगर उसे खत्म करने की दिशा में, सामाजिक समानता स्थापित करने की दिशा में प्रयास नहीं होगा तो बहुत ही खतरनाक रूप में इस का विकास हो सकता है। अतः मैं चाहता यह हूं, मेरी इच्छा यह है कि सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम जरूरी है। देखना यह है कि देश के अन्दर जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं उन से इस दिशा में किस हद तक मदद मिल सकती है।

स्थिति क्या है? नौकरियों में भारी असंतुलन है। पिछड़ी जातियों को नौकरी में महज 12.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व है जब कि उन की संख्या देश के अन्दर 52 प्रतिशत है। इस से यह बात निकलती है कि नौकरियों में तथाकथित ऊंची जातियों का केन्द्रीयकरण है। उन्हीं के

हाथों में अधिकतर नौकरियां केन्द्रित है । यह एक सामाजिक अन्याय है । इस को दूर करना चाहिए । इस से जो असंतुलन है वह असंतुलन समाज में पैदा होता है और उस से समाज में विषमता पैदा होती है, समाज में फूट पैदा होती है और देश के अंदर सरकार द्वारा पारित जो बहुत से कानून है उन को लागू करने की दिशा में बाधा उपस्थित होती हैं । सरकार ने बहुत से सामाजिक और आर्थिक कानून पास किये हैं । प्रश्न यह है कि जो वर्तमान प्रशासन का ढांचा है जिस में मुठ्ठी भर तथाकथित जातियों के लोगों का केन्द्रीकरण है उसके जरिये क्या यह सामाजिक और आर्थिक कानून जो देश में काफी बड़ी संख्या में पारित है उन को लागू किया जा सकता है । मेरी समझ में यह आता है कि 35 वर्ष की आजादी के बाद सारे कानून जो पास किये हुए हैं वे कानन सरकारी अलमारियों में बंद हैं शोभा के लिये और वह जमीन पर उतर नहीं पाते हैं । इस का एक बड़ा कारण यह है कि नौकरियों में मुठ्ठी भर लोगों का जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं उनका केन्द्रीयकरण है जो न सिर्फ ऊंची जाति के हैं बल्कि वह धनी वर्ग से भी आते हैं । इसलिये हमारा लक्ष्य होना चाहिए समाज में सामाजिक न्याय प्राप्त करना और साथ ही साथ जातीय एकता स्थापित करना । देखना यह है कि क्या मंडल कमीशन इन दो उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें सहायक सिद्ध हो सकता है । मेरी समझ यह है कि मंडल कमीशन को लागू करने से देश के अंदर जो चीजों की उपलब्धि हो सकती है । पहली बात तो यह है कि एक हद तक सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है और दूसरी बात यह है कि समाज में जो जाति विभेद है जिस के चलते हम समाज में सोशल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन लाने में असमर्थ होते हैं उस को हम प्राप्त कर सकत हैं, उस में कम से कम हम को मदद जरूर मिलेगी । मेरी समझ में अभी तक सरकार ने इस मंडल कमीशन को कबिनेट के अंदर एक कमेटी के दायरे में विचार करने को देकर इस को विलंब करने की दिशा में एक कदम उठाया है । कबिनेट को देने का मतलब यह है कि सरकार इस को लागू करने में विलंब करना चाहती है और अधिक विलंब होने से भारी खतरा उपस्थित हो सकता है । तो प्रश्न यह उठता है कि इसको कैसे लागू किया जाय और इस को लागू करने का आधार क्या होगा ? मेरी समझ यह है कि मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग की जांच करने के लिए कुछ क्राइटेरिया निश्चित किये है । वह क्राइटेरिया आर्थिक है । वह क्राइटेरिया सामाजिक हैं । वह क्राइटेरिया शैक्षणिक हैं । 9 इंग्रीडियेंटस उस ने निश्चित किये हैं जिन के आधार पर उस ने देश में पिछड़ी जातियों की पहचान करने का आधार निश्चित किया है । इसलिये सामाजिक और शैक्षणिक आधार ही पिछड़े वर्ग की जांच का नहीं हो सकता । आर्थिक आधार भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हम को विचार करना चाहिए । में कुछ समय और लूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली). आप मुझे यह बताये कि आप को कल कितना समय चाहिए ?

श्री सूरज प्रसाद : 5 मिनट ।

उपसभाध्यक्ष : माफी चाहता हूं । आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सूरज प्रसाद : मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा । मै कहना यह चाहता हूं कि आजादी के बाद से देश के अंदर कुछ आर्थिक परिवर्तन हुए

[श्री सूरज प्रसाद]

समाज के अन्दर कुछ नई तरह की स्थिति आई है । वह नया वर्ग उच्च जातियों में ही नहीं आया है बल्कि पिछड़ी हुई जातियों में भी कुछ सम्पन्न लोग उभरकर आये हैं । गांवों के अन्दर धनी किसान शहरों में सम्पन्न क्लास जो पिछड़े वर्ग का है वह भी उभरकर आया है । इसलिए जांच करते समय इस बात को भी ध्यान में रखने चाहिए कि महज नौकरियों में जो आरक्षण करेंगे उसका लाभ कुछ मुट्ठी भर लोग ही न हथिया लें और पिछड़े हुए लोगों को, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिले । इसलिये में कहना चाहता हूं कि बिहार में जब जनता पार्टी की हुकूमत थी तो एक क्राइटेरिया, एक फार्मूला निकाला था आरक्षण लागू करने के लिए । उसने सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े हुओं को ही आरक्षण नहीं दिया बल्कि यह कहा कि जिनकी सालाना आमदनी 10 हजार रुपये तक है उन्हीं को हम आरक्षण देंगे । इससे ऊपर के जो पिछड़े वर्ग के लोग है उनको नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा । उसने यह भी कहा कि पिछड़ी जातियों में दो तरह के लोग है । एक पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 पिछड़ा वर्ग 1 को 12 परसेंट और दूसरे को 8 परसेंट आरक्षण देंगे । कर्पुरी ठाकुर की सरकार ने दूसरा क्राइटेरिया भी तय किया कि जो महिलायें हैं वह भी पिछड़ी हैं, इसलिए उन्हें 3 परसेंट आरक्षण देंगे और एक नई बात जो बिहार में कर्पुरी ठाकुर की हुकूमत ने की वह यह थी कि आर्थिक रूप से ऊंची जाति के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी 3 परसेंट का आरक्षण देंगे । इस तरह 26 परसेंट का जो आरक्षण हुआ उसमें 12 परसेंट पिछड़े वर्ग के लिए जो पहली श्रेणी के हैं, 8 परसेंट दूसरी श्रेणी के लिए, 3 परसेंट महिलाओं के लिए और 3 परसेंट उच्च जाति के लोगों के लिए जो गरीब हैं, आरक्षण हुआ । यह एक फारमूला है जो बिहार में लागू हुआ । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को भी एक फार्मूला इवाल्व करना चाहिए जिसके आधार पर इस आरक्षण को लागू किया जाये ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि कमीशन ने नौकरियों में ही रिजर्वेशन की सिफारिश नहीं की है बल्कि और भी कुछ बातें कही हैं । बहुत लोगों ने भाषण किये लेकिन उस पहलू पर किसी ने गौर नहीं किया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन ने जो कहा उसको पढ़कर मैं आपको सुना देना चाहता हूं —

"It is the Commission's firm conviction that a radical transformation of the existing production relationship is the most important single step that can be taken for the welfare and upliftment of the backward classes."

He said that it is the "single important factor". It is further stated:

"The Commission, therefore, strongly recommends that all State Governments should be directed to enact and implement progressive land legislation so as to effect basic structural changes in the existing production relationship in the countryside."

इसलिए मेरा कहना यह है कि महज नौकरियों में रिजर्वेशन देने से ही पिछड़े वर्ग की समस्याओं का समाधान नहीं होगा । इसमें लेंड रिफार्म हो, जो सोशियो-इकानामिक स्ट्रेक्चर में परिवर्तन लाये । यह इंपाटंट फेक्टर है जिसे लागू करना चाहिए ।

दूसरी बात उसने कही कि पिछड़े वर्गों में कुम्हार भी हैं, लोहार भी हैं । इसी तरह के दूसरे लोग भी हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरत इस बात की है कि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी जाए

ताकि वह अपने उद्योगों का विकास कर सकें।

तीसरे उसने कहा है कि शिक्षा में विकास के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि पिछड़े वर्गों का उत्थान हो सके।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सुझाव यह है कि आरक्षण पिछड़े वर्ग को देना निहायत जरूरी है और साथ ही महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ताकि देश के अंदर हम सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकें। साथ ही देश के अंदर जो जाति विभेद है उसको खत्म करने की दिशा में कदम उठा सकें। इसलिये मेरा कहना यह है कि मंडल कमीशन का इस्तेमाल जाति विभेद को फैलाने के लिये नहीं बल्कि देश के अंदर जाति एकता और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मंडल कमीशन की सिफारिशों का समर्थन करता हूं और लागू करने की सिफारिश करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Shri Satyanarayan Reddy. Not here. Prof. Bhattacharjee. Not here. Shri Narendra Singh.

AN HON. MEMBER: It is Mr. G. C. Bhattacharya. He is here.

SHRI G. C. BHATTACHARYA (Uttar Pradesh): I know how things are moving here. He does not know I am not Prof. Bhattacharjee. I am G. C. Bhattacharya. I think Chair knows me properly.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): I am very sorry. . .

SHRI NARENDRA SINGH: You have called me, Sir.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Prof. Bhattacharjee is Prof. Sourendra Bhattacharjee; the Vice-Chairman knows it.

SHRI J. K. JAIN (Madhya Pradesh): Why doesn't he admit that he was sleeping in the bench?

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I take strong objection; he is always non-serious. I strongly protest against what he is saying. I only said that when you called Prof. Bhattacharjee, I kept quiet . . . (*Interruptions*). He is the most irresponsible man making most irresponsible things.

SHRI J. K. JAIN: The manner he was addressing the Chair, we also have serious objection. He must learn how to address the Chair.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I would like to know where my name stands.

SHRI J. K. JAIN: Ask him to sit down, Sir.

श्री नरेन्द्र सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जो यह चर्चा हो रही है ऐसा नहीं है कि यहां पर इस सदन में बैठे हुए लोग ही सुन रहे हों (**व्यवधान**) देश के तमाम लोग 52 प्रतिशत लोग जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वे भी इस तरफ देख रहे हैं। इस चर्चा से उनका वास्ता है।

मान्यवर, सबसे पहले 1953 में एक कमीशन काका कालेल्कर कमीशन बना था। उस काका कालेल्कर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उसने इस समस्या को चार हिस्सों में बांटा था। उसने पूरे देश में भ्रमण करने के बाद इसका अध्ययन किया और उसके बाद ही इसको चार हिस्सों में बांटा—हरिजन, गिरिजन,

[श्री नरेन्द्र सिंह]

बहुजन और महाजन । बहुजन का वास्ता बैकवर्ड क्लास से था । that is, those who formed majority of the population in the country. उन्होंने 2,397 जातियों को पिछड़ी जातियों में रखा । जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । क्योंकि उस समय यह कहा गया था इसमें जो पिछड़े वर्गों के बारे में कहा गया है वह सही नहीं है । साइंटिफिक तरीका अख्तियार नहीं किया गया है । इस के बाद दूसरा कमीशन बनाया गया जनवरी, 1979 में । जिस पर आज चर्चा चल रही है। स्वर्गीय श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में यह कमीशन बना और मंडल कमीशन के नाम से विख्यात हुआ। इसके कानूनी पहलू पर मैं बाद में जाऊंगा । जो आज स्थिति है सरकारी नौकरियों में, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं । आज सैन्ट्रल गवर्नमेंट में क्लास–1 में शैडयूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग 5.68 परसेंट हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोग 4.69 परसेंट हैं । 52 परसेंट जिनकी पोपुलशन है उनकी संख्या 4.69 परसेंट है । ये क्लास-1 में हैं और क्लास-2 में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के 18.18 परसेंट हैं और जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनकी संख्या 10.63 परसेंट है । मान्यवर, क्लास–3 और 4 में शैडयूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या 24.40 परसेंट है और बैकवर्ड क्लासेज की संख्या 24 परसेंट हैं । अभी सन् 1982–83 में जो आई० एस० एस० का रिजल्ट आया है उसमें 963 लोगों में बैकवर्ड क्लासेज के सिर्फ 26 लोग हैं । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है । यह 52 परसेंट लोगों का हिस्सा है । यह देश की हुकूमत और नौकरियों की हालत है । मैं सिर्फ नौकरियों पर जोर दे रहा हूं । मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा है––यह रिपोर्ट के 13(4) में है–

"It is not at all our contention that by offering a few thousand jobs to OBC candidates, we shall be able to make 52 per cent of the population as forward. But we must recognise that an essential part of the battle against social backwardness is to be fought in the minds of the backward people. In India, Government service has always been looked upon as a symbol of prestige and power. By increasing the representation of OBCs in Government services, we give them an immediate feeling of participation in the governance of this country. When a backward class candidate becomes a Collector or a Superintendent of Police, the material benefits accruing from his position are limited to the members of his family only. But the psychological spinning off of this phenomenon is tremendous; the entire community of that backward class candidate feels socially elevated. Even when no tangible benefits flow to the community at large, the feeling that now it has its 'own man' in the 'corridors of power' acts as a morale booster."

That is why, the emphasis is on reservation in Government services.

मान्यवर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जिन लोगों की पोपुलेशन 52 परसेंट है उनके लिये रिकमेन्ड किया गया है कि उनका रिजर्वेशन 27 परसेंट हो । उसका उन्होंने जो कारण दिया है उससे यह स्पष्ट है कि मंडल कमीशन का इरादा कोई समाज को डिसइंटेग्रेट करना नहीं है, कोई कानून का उल्लंघन करना नहीं है बल्कि समाज को वह आगे बढ़ाना चाहता है। और वह 27 प्रतिशत में ही देना चाहते हैं । इसके बारे में जो

उन्होंने तर्क दिया है वह मैं मान्यवर कोट करता हूं :

"13.10. Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute 22.5 per cent of country's population. Accordingly, a *pro-rata* reservation of 22.5 per cent has been made for them in all services and public sector undertakings under the Central Government. In the States also reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is directly proportional to their population in each State."

Then in recommendation 13.11 it is stated, I quote:

"13.11. As stated in the last Chapter (para 12.22) the population of OBCs, both Hindus and non-Hindus, is around 52 per cent of the total population of India. Accordingly 52 per cent of all posts under the Central Government should be reserved for them. But this provision may go against the law laid down in a number of Supreme Court judgements wherein it has been held that the total quantum of reservation under articles 15(4) and 16(4) of the Constitution should be below 50 per cent. In view of this the proposed reservation for OBCs would have to be pegged at a figure which, when added to 22.5 per cent for SCs and STs, remains below 50 per cent. In view of this legal constraint, the Commission is obliged to recommend a reservation of 27 per cent only, even though their population is almost twice this figure."

So, only 27 per cent reservation they have recommended. Now I will like to point out about the two or three facts more.

मान्यवर, मंडल कमीशन ने जो सिफारिश की हैं वे सिर्फ सेवाओं से ही वास्ता नहीं रखतीं, सेवाओं के अलावा मंडल कमीशन ने शैक्षणिक रियायतों के संबंध में भी सिफारिशें की हैं, वित्तीय सहायता के बारे में कहा है और निगम स्थापित करने की बात कही है तथा केन्द्रीय सहायता की भी बात कही है । ये कई रिकमन्डेशंस मंडल कमीशन ने की हैं। अब मान्यवर, यहां पर जो चर्चा हुई, उसको विपक्ष के हमारे कुछ दोस्तों ने पोलिटिकलाइज करने की कोशिश की । जहां तक मेरी मान्यता है..(**समय की घंटी**) मैं पांच मिनट लूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : नहीं, नहीं एक दो मिनट में अपनी तकरीर मुक्कमल कीजिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह : इसको पोलिटिकलाइज करने की कोशिश की । मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं मान्यवर, कि बैकवर्ड क्लास के लिये जो भी किया गया है, पूरे देश में, वह **कांग्रेस** ने किया है । बिहार को छोड़कर सारे देश में, सारे प्रान्तों में जो रिजर्वेशन हुआ है, बैकवर्ड क्लासेज को जो सुविधायें दी गई हैं वह कांग्रेस ने दी हैं ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, उत्तर प्रदेश में श्री नारायण दत्त तिवारी ने 15 प्रतिशत रिजर्वेशन का फैसला लिया था, यह कांग्रेस सरकार का फैसला था और राम नरेश जी ने उसको सिर्फ कार्यान्वित किया है । मान्यवर...(**व्यवधान**)... मलिक साहब, आप तब बोल लीजियेगा जब आपका नम्बर आयेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) आप अपनी बात कहें ।

श्री नरेन्द्र सिंह : यह सब कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है जनता पार्टी ने अपने इलैक्शन मैनोफैस्टो में लिखा था, I will quote one para only.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Is it worth?

SHRI NARENDRA SINGH: All right. . .

कि हम काका कालेलकर रिपोर्ट को लागू करेंगे और इस बिना पर उन्होंने वोट मांगा। लेकिन मान्यवर, जनता पार्टी ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। मैं उन दिनों जनता पार्टी में था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का गठन किया था लेकिन बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जब रिजर्वेशन किया था तो कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। उसका विरोध जनता पार्टी के लोगों ने किया था। तो मैं इस बात को कहता हूं कि जनता पार्टी के लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है यह बात कहने का कि कांग्रेस के लोग इस बात को टाल रहे हैं इंदिरा जी इसे करना चाहती हैं हमारे कांग्रेस के लोग भी करना चाहते हैं। हमारे सेठी साहब ने जो लोक सभा में बयान दिया उससे बहुत स्पष्ट है कि कितनी सीरियसनैस, कितनी गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने एक कैबिनेट कमटी बना दी है जो एक महीने के अन्दर अन्दर रिपोर्ट देगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेगी। मान्यवर, इसका एक और पहलू है जिसकी यहां चर्चा हुई है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यहां पर हमारे कई दोस्तों ने कहा कि इकोनोमिकली वीकर क्राइटेरिया होना चाहिए। यह बिलकुल भ्रामक बात है। इकोनोमिकली क्राइटेरिया इसका नहीं हो सकता। मान्यवर, मण्डल कमीशन जो बना वह संविधान की धारा 340 के तहत बनाया गया और उसमें इकोनिमिकली वर्ड नहीं है मैं सिर्फ उसका रेलेवेंट . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री संसद रहमत अली) : आपने काफी कह दिया है पढ़ेंगे तो और वक्त लगेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह : उसमें कोई इकोनोमिकली वर्ड नहीं है, कहीं पर जिक्र नहीं है। बहुत साफ है। सोशलीव और एजुकेशनली बैकवर्ड और वह र शेडेयूल्ड कास्ट के लोगों से भी वास्त खता है लेकिन इकोनोमिकली कहीं ा र्ड नहीं है और मान्यवर, आर्टिकल 15(4) और 16(4) में भी बहुत साफ है। उसमें भी कहीं पर इकोनोमिकली वर्ड का जिक्र नहीं है। मान्यवर, मैं इसे कोट करना चाहूंगा। जहां पर आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर ला है इसमें आर्टिकल 15 में इन्होंने कहा है :

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to—

सेक्शन–4 में जिसे मैं इम्फेसाइज कर रहा था—

"(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

There is nothing like economic.

तो मान्यवर, यह जो कमीशन बना आर्टिकल 15 में मैंने आपको कोट किया, आर्टिकल 16 में भी जहां पर कि इक्वालिटी इन मैटर आफ पब्लिक

इम्पलायमेंट है यहां पर भी कहीं पर इकोनोमिकली वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया और इसमें सेक्शन–4 में कहा गया है कि—

"(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली) : नरेन्द्र सिंह जी आपने दो मिनट के लिए कहा था आप आगे बढ़ गये । मैं अब माफी चाहता हूं अब आपको एक मिनट और नहीं मिलेगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह : तो मान्यवर, यह जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं मैं सेठी जी से अपील करूंगा, सरकार से अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि उनको आप शीघ्र लागू करें ताकि लोगों में जो बढ़ता हुआ असंतोष है उसको रोका जा सके । यह कहते हुए मान्यवर, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और समाप्त करता हूं ।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Mr. Vice-Chairman, Sir, some previous speakers have raised some basic issues in their speeches. These basic issues relate to political, economic and social aspects also. I have found some confusion when they have used both caste and class to mean one and the same thing. Class and caste can never mean the same because caste has always been a divisive force for the purpose of dividing particular classes. Now it is scientifically accepted that there are only two classes in a society, and they have been established right from the very beginning when the civilization started. Since the drawn of civilization they are there. One is the exploiter; and the other, the exploited. One is the haves; and the other, the have-nots.

[**Mr. Deputy Chairman** in the Chair] Therefore, whenever the question of caste has come, the exploiters have tried to divide the exploited on the basis of caste. I do not know they will now say—quoting some political leaders—that caste and class are one and the same thing. This confusion has led to many other complications; and this is also a factor which is going to create much more complication. And the ruling class, the ruling bourgeois class right from 1951 when this Constitution was framed—and this Constitution was nothing but an instrument of exploitation—wanted through this Constitution by providing things under articles 14(4), 15(4) and 340 to create division amongst classes. On the one side they talk of work; and on the other side they talk of hatred against another particular caste, although they may be very very poor. This caste hatred has always been a bane of the society, and India has remained backward because of this caste factor. And now in the name of poor, they want to create much more hatred and caste hatred in the society. They are saying many things in the name of caste and equality with class. I cannot understand how this Mandal Commission's Report, which has now been made another instrument of creating class hatred, caste hatred can at all be a solution when this country is facing so many problems—problems of disintegration. In the name of religion, in the name of caste, in the name of community, this country is sought to be divided. Now, Mr. Home Minister—you are here—if you are not taking this seriously, if you are also politicking—and I know you are politicking because you are also* which wants to rule this country.

*Expunged as ordered by the Chair.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI): He is talking bourgeois language.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Sir, the ruling class represents the bourgeoisie, and this bourgeoisie wants to divide. They want to divide the society and then rule. (*Interruptions*) This is my opinion and nobody can challenge it. (*Interruptions*) I am entitled to hold my opinion. And I am not wrong. Unless you are an agent of the bourgeoisie, you will not challenge me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not use these words.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Yes, these are the political people ruling for the bourgeoisie and they are agents of dividing this society. Therefore, everybody is playing the same game. (*Interruptions*) You will not understand, Madam. It is beyond you. Please sit down.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: I understand more than what you do.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Do not play with the fate of the country. Do not play with the integrity and freedom of the country. Everybody is trying to play the game of vote and then capture power and let the country go to dogs; he is not concerned.

SHRI P. C. SETHI: You are also doing the same thing.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: They have only one end in view. (*Interruptions*) Therefore, you should be very careful when you say that the Mandal Commission Report should be accepted. I am a supporter of the poor. I am hearing what they are saying from this side and from that side. Both are using the Mandal Commission to create hatred, to create class hatred. (*Interruptions*) This is beyond you, you cannot understand.

9 P.M.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: He is blaming the Minister. He is blaming others. Is this Mandal Commission? I say you do not know anything.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: This is beyond you, madam, you cannot understand. (*Interruptions*)

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka): You are talking about our brain. Our brain is much better than your brain. He is thinking that he is a very intelligent person.

श्री रामानन्द यादव : एक इनफार्मेशन देंगे भट्टाचार्य जी ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : आप जब बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला था । (**व्यवधान**)

श्री रामानन्द यादव : मैं आपसे एक इनफार्मेशन चाहता हूं ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : आप इनफार्मेशन पूछ लीजिए ।

I am entitled to my view.

श्री उपसभापति : नहीं–नहीं, जाने दीजिए ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : यादव जी आप सब जानते हैं । इनको बोलने दीजिए, आप बैठिये ।

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Mr. Deputy Chairman, it is very unfair. He is entitled to his views. He may be wrong. But why do you interrupt him? Let him say whatever he likes. Why are you interrupting him? He is entitled to his views. Then, we will interrupt everybody.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now allow him to speak.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): What do you understand about it? What are you speaking.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: As if you are understanding everything.

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka): As if they are very intelligent people.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: यह क्यों शोर मचा रहे हैं ?

श्री उपसभापति : आपको देख कर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं तो शराफत से बैठा हूं।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: You will not be here. Many of us will not be here. But events will prove that whatever I am saying is right. My friends are disturbing. They are wrong. I am warning. This Mandal Commission has come. It is a very welcome thing. We are for the poor. We are for all that development. But the way the Mandal Commission is being used to divide the poor class, I am only taking exception to that. The Mandal Commission is being made a pawn of electoral politics. That is what has been said on this side. That is what has been said on that side. I am telling, under the garb of the Mandal Commission, a bitter caste hatred is being spread, and that has percolated from top to bottom. You go to villages. You know how things are getting beyond control in the name of backward classes and forward classes of the country. Therefore, this Mandal Commission should not be taken from that point of view.

And my friend says that there is no such thing as "economic" either in article 14(4) or 15(4) or 340. Does not matter. Therefore, I am saying that there are only two classes, the rich and the poor. They only subscribe to this view. There is no other view possible, because this is the established view. Therefore, this Constitution is an instrument of capitalist exploitation. They know they can rule only when they divide the poor class on the basis of caste. Therefore, this provision is there. Therefore, even if there is no economic criterion mentioned there, reservation or anything should be based only on economic criteria. There should be nothing less than economic criteria for the poor, and economic criteria should be the basis of any reservation. Any other basis will only divide the poor and it will be detrimental to the interests of the poor and the interests of the country. Ultimately the whole society will get divided and the country will disintegrate and we will loss our freedom. Therefore, it is not an ordinary thing. When my friends there are getting up, they must first understand what I am saying. I am sorry that they have totally misunderstood me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Warjri.

SHRI BUTA SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to point out two things. In the heat of the moment, the hon. Member has made two remarks which I object to. One, he has said that our Constitution is an instrument of capitalists. Two, . . .

SHRI G. C. BHATTACHARYA: What is the objection in that? (*Interruptions*)

SHRI BUTA SINGH: Sir, I am addressing you (*Interruptions*)

SHRI G. C. BHATTACHARYA: You are only exposing yourself. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please.

SHRI BUTA SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, shouting without any sense will not make any sense here. Therefore, what I was going to point out was, kindly verify from the proceedings if it is true that the hon. Member has termed our Constitution as an instrument of capitalists. If so, it should be expunged.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: It should not be expunged. It is not unparliamentary. On what basis should it be expunged? It is totally within

[Shri G. C. Bhattacharya]

parliamentary language. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete.

SHRI BUTA SINGH: The second thing which I object to is that the hon. Member again has said that the ruling party represents the bourgeoisie. To this also I take objection and I request that these two remarks be expunged. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: This is absolutely scientific. It is a capitalist society and you are representing it. The ruling party is an agent of the bourgeoisie. How can it be otherwise ?Do you now anything? (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Warjri. Let us proceed with the debate, please.

श्री रामानन्द यादव : भट्टाचार्य जी ने अपने भाषण के क्रम में यह बात कही कि यह कांस्टीट्यूशन जो है. . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री जी कह चुके हैं ।

श्री रामानन्द यादव : या तो आप इस को एक्सपंज कीजिए । इन्होंने कांस्टीट्यूशन के नाम पर ओथ ली है । यह हाईली आब्जेक्शनेबिल है । It is highly objectionable. Either you expunge it... (*Interruptions*)

SHRI G. C. BHATTACHARYA: You don't know anything. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: मेरा ख्याल है कि अब आप लोग इस डिबेट में इन्टरेस्टेड नहीं रह गये हैं । You are just making this observation and that observation. That is all.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री महोदय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मैं स्वयं भट्टाचार्य जी के इस रिमार्क से सहमत नहीं हूं ।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I am entitled to my views. You are entitled to your views. (*Interruptions*)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : देवियो दया करो । मैं भट्टाचार्य जी की भावना से सहमत नहीं हूं । लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है वह अनपार्लियामेंटरी नहीं है, पार्लियामेंट्री भाषा में है । मैं इनके इस भाव से सहमत नहीं हूं, अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो संविधान की टीका भी की जा सकती है, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है उस से मैं सहमत तो नहीं हूं, लेकिन वह एक्सपंज नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री सूरज प्रसाद : मेरा पौइन्ट आफ आर्डर यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जरूर है । लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें राइट टू प्रापर्टी है और राइट टू प्रापर्टी जिस संविधान में होता है वह संविधान कैपटलिस्टक संविधान होता है ।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल नहीं । (व्यवधान)

श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम-निर्देशित) : यह एक स्वीपिंग रिमार्क है । यह खुद संविधान की कसम खा चुके हैं और इसलिये उन का ऐसा कहना ठीक नहीं है । यह इस तरीके से स्वीपिंग रिमार्क करना ठीक नहीं होगा । (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Now, Mr. Alexander Warjri.

SHRI ALEXANDER WARJRI (Meghalaya): Mr. Deputy Chairman, I am going to sing a different tune

with a different tone. Much has been said about the Mandal Commission Report and its non-implementation by the Government. Article 314 provides for appointment of a commission to investigate into the living conditions of the people who are socially and educationally backward. The appointment of the Mandal Commission is a fulfilment of this Article. Basically the problem of backward classes is a problem of rural population, India being a country of countless villages, and the Mandal Commission has drawn attention to this fact. To quote a passage from it on page 60, it says:

> "The net outcome of the above situation is that notwithstanding the numerical preponderance backward classes continue in mental and material bondage of higher caste and rich peasantry. Consequently, despite constituting nearly three-fourths of the country's population, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes have been able to acquire a very limited political clout even though adult franchise was introduced more than three decades back."

Now, Mr. Deputy Chairman, I would like to point out—(1) the backward classes, namely, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes, constitute three-fourths of the country's population. If this is true, I doubt very much whether India is still a democratic country. May I ask what the percentage is of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha ? I found out just now that out of 346 Members in the Lok Sabha, there are only 130 or so of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. If they constitute three-fourths of the country's population, the question is why their representation is only 20 to 25 per cent. If they are really three-fourths of the country's population, why should they not be the owners of the land and the houses they occupy? How long will this majority be ever subjected by the one-fourth minority? The Constitution provides for certain concessions to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. Are these concessions granted by the one-fourth minority out of goodness of the hearts of the one-fourth minority? This one-fourth minority should remember that the three-fourth majority were the original settlers of India whose forefathers had to yield to the powers of the aryans and were reduced to the state of slavery. The Harijans and other backward classes were given a place in the Hindu society as Sudras and others. It is only those who fled to the hills could escape this kind of subjection and they are the tribal people. Do you think that after thousands of years of being down-trodden, these three-fourths will any longer tolerate this, whether the Mandal Commission report is accepted or implemented or not. The writing on the wall has become very clear. Till now most of the safeguards, privileges and concessions provided for by the Constitution and the rules framed from time to time have been flouted, ignored and if at all implemented, were, and are being; implemented wrongly and for wrong persons. There are so many instances were in the name of certificates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other backward classes, high caste people have acquired jobs in the Government and Railway services. I would like also to point out that there is discrimination and injustice against Scheduled Castes and Scheduled Tribes who change their religion and who were converted into other religions, for example, from Hinduism to neo-Buddhism, Islam or Christianity. According to the prevailing practice, any Scheduled Caste Hindu who changes his religion and becomes either a Christian or Muslim loses his right to the privileges as a Scheduled Caste. People change their religion to another because of conviction and belief that they can fulfil their spiri-

(Shri Alexander Wazir)

tual need in the religion they are converted to. A Scheduled Claste Hindu is punished for the change of his religion by being deprived of his rights and privileges. (*Time bell rings* These people have been deprived of their privileges which they used to enjoy so far. I do not see how a change of religion has made him economically, socially and educationally forward. Or, have the articles 15 and 16 and other clauses and article 340 of the Constitution been inserted in the Constitution with a religious bias? I am asking this because the caste system is not a creation of the Hindu religion. It is a system prevailing in the Hindu society. The caste system, all will agree, has no connection with Hinduism. I, therefore, urge that the Government should consider the problem of those Scheduled Caste people who change their religion. If India is still a secular State, no order or rule should be allowed to continue which bestows on any section of people rights and privileges or deprives any section of the people of rights and privileges because of religion. I want a categorical reply from the Minister whether he is prepared to reconsider, according to the Mandal Commission recommendations, this aspect also and remove the injustice suffered by the Scheduled Caste people who change their religion, according to the spirit of article 15 of the Constitution.

Lastly, Sir, I would like to point out here that in respect of reservation of posts in the Government and semi-Government services for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other backward classes, it will be meaningless if compulsory education is not introduced throughout the country for these backward classes. Many reserved posts cannot be filled up because of lack of educational qualifications. If the backwards are to be brought forward, the task of immediately educating them is not only a must, but is also an imperative.

Sir, every representative of the people should remember this fact that he is a representative of his electors. The electors are his masters. The three-fourths of the population, the backward classes, are their masters. It is high time that we educated our masters, as Gladstone said in the Parliament of England. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Ansari.

श्री हयातुल्ला अंसारी : जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं सारी तकरीर सुनता रहा हूं लेकिन इसमें दो बातें कुछ रह गई हैं । एक प्वाइंट तो बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है । यह तो सब मानते हैं कि बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनको सर्वसेज दी जाए । इस बारे में न इधर से मुखालिफत हुई और न उधर से कोई मुखालिफत हुई । असल सवाल यह है कि क्या ये बातें मंडल कमीशन की रिपोर्ट मानने से हो जायेंगी ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रेक्टिस में आए और मामला ऐसा का ऐसा ही रह जाए । बाज अल्फाज हरिजनों के लिए भंगी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है । गोरखपुर में मुस्लिम भंगी हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं । हम लोगों ने उनकी कमेटी भी बनाई थी । मेरी बीवी उनकी प्रेजीडन्ट हैं । जब तक कांस्टिट्यूशन में कोई तबदीली नहीं लाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है । लखनऊ में बहुत से बौद्ध हैं । वे भी भंगी हैं । मैं फिर भंगी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वे भंगी हैं । वे हमारे पास आते हैं । उनमें हमने अडल्ट एजूकेशन भी चलाई थी । उनका वास्ता हमारे साथ 15 सालों से है । बहुत शरीफ लोग हैं । उनके लिए इस मंडल कमीशन में कुछ भी नहीं कहा गया है । वैसे ही क्रिश्चियन्स हैं । पहले उनकी हालत बहुत अच्छी थी । लेकिन

फिर उनकी हालत खराब हो गई है। रिपोर्ट में इस बारे में कुछ नहीं है। यह प्रोबल्म वैसी की वैसी ही रहेगी। लखनऊ में लाखों भंगी हैं, चमार हैं, बौद्ध हैं। इस रिपोर्ट में उनके लिए कुछ नहीं किया गया है।

दूसरा प्वाइन्ट मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मुझे माफ कीजियेगा, कोलरा की बीमारी को बन्द करना हो तो कोलरा के जर्म्स को खत्म कीजिये तभी कोलरा खत्म होगा। हिन्दुस्तान में मनु ने हरिजनों को बनाया। मनु ने इस बारे में लिखा है। वे कैसे बने थे, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आप बम्बई स्लम्स में जाइये, वहां हरिजन बन रहे हैं। उनमें हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं और क्रिश्चियन्स भी हैं। उनमें नार्थ के लोग भी हैं और साउथ के लोग भी हैं। वे सब हरिजन बन रहे हैं। उनके बारे में मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कुछ नहीं है। हरिजन कैसे बनते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। अमेरिका में रेड इंडियन आज हरिजन हैं। डेढ़ सौ साल पहले वे हरिजन नहीं थे। वैसे ही हवाई में आप जाइये तो आप देखेंगे कि वहां पर हरिजन बन रहे हैं और बन चुके हैं। जब कल्चर पर हमला होता है तो इस तरह की हालत पैदा हो जाती है। आज इन लोगों के पास कोई ताकत नहीं है। वे मुर्दे की तरह से हैं। छोटे-छोटे काम करते हैं। बम्बई में इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। मैंने अपने नावल में भी उनके बारे में लिखा है। मैंने इनके बारे में मराठी के बहुत से नावल पढ़े हैं। उनमें इनकी पूरी कैफियत लिखी हुई है। आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठीक-ठीक कर लेंगे, लेकिन ये हरिजन पैदा होते जाएंगे और उनकी हालत वैसी की वैसी रहेगी। आज मुश्किल यह है कि कोई देखता ही नहीं है। लखनऊ में लाखों की तादाद में इस तरह के लोग हैं, बौद्ध हैं। भंगी लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करना बुरा लगता है। गोरखपुर में भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। आपकी इन जगहों पर कितने ही मुस्लिम चमार, बौद्ध चमार मिल जाएंगे जिनकी हालत बहुत खराब है। इनके लिए इस रिपोर्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर कोई पहाड़ उठाना चाहता है तो उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह पहाड़ उठा सके। अगर कांस्टीट्यूशन भी इसके लिए तबदील करना पड़े तो वह भी करना चाहिए क्योंकि नहीं तो ये लोग गन्दे के गन्दे और गरीब रह जाएंगे। मैंने बम्बई के स्लम्स देखे हैं। कलकत्ता में मैंने इनको नहीं देखा हैं लेकिन वहां पर इससे भी ज्यादा हैं, ऐसा कहा जाता है। ये लोग चोरी का पानी पीते हैं, चोरी का खाना खाते हैं, चोरी का पेट पालते हैं और चोरी की शादियां करते हैं और चोरी के बच्चे पैदा करते हैं। इनको तीन पुश्त हो चुके हैं। इनका कोई इलाज अभी तक नहीं किया गया है। हम देख रहे हैं कि आज भी इस तरह से हरिजन पैदा हो रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है इन चीजों को टटोला जाय। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आंख और कान खोलकर इसको देखना और सुनना होगा। मुझे अफसोस है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई है। जब तक हम इन लोगों की तरफ भी तवज्जह नहीं देंगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है।

डा० महावीर प्रसाद (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, अभी जो चर्चा हो रही है उसमें दो बातों की माननीय सदस्यों ने बार-बार चर्चा की है। एक तो आर्थिक आधार की चर्चा की है और दूसरे जात और वर्ग की चर्चा की है। मैं सिर्फ पंडित जवाहरलाल

[डा० महाबीर प्रसाद]

की बात को कोट करना चाहूंगा । जवाहरलाल जी ने कास्ट के बारे में कहा था—

"Caste is nothing but a congregation of classes. Whether you call it a class or whether you call it caste, the meaning remains the same."

उन्होंने उस बिल को रखा था, तो उन्होंने आर्थिक आधार की चर्चा करते हुए, उसके बारे में, जो आब्जेक्शन्स आज उठाए जा रहे हैं, उस-समय भी उठाए गये, उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा था कि :

"But if I added economically, I would at the same time not make it a cumulative thing but would say that a person who is lacking in any of these things should be held socially backward—a much wider word including many things and certainly including economically. Therefore, I felt that socially and educationally really covered the ground and at the same time being a phrase used in another part of the Constitution in a slightly similar context."

महोदय, इसके आगे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं महसूस किया और मैं सदन से कहना चाहूंगा कि वह भी उस अनुमति से लाभ उठायें । उन्होंने कहा था कि :

"We talk of casteism and we condemn it as it should be; but the fact remains that half a dozen of the so-called higher castes dominate the Indian scene among Hindus."

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात जो कही जा रही है उस पर यह कहा जा रहा है कि इन बातों से समस्याओं का समाधान नहीं होगा । स्वयं मंडल कमीशन की रिपोर्ट में यह बात कही गई कि इससे हमारी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो जाता लेकिन यह एक तरीका है, यह एक माध्यम है, जिसके मार्फत हम उन 52 प्रतिशत लोगों को ईमानदारी से ऊंचा उठा सकते हैं जो आज राज-काज के कामों में हिस्सेदार नहीं हैं । जब इस देश को हम मजबूत बनाने की बात करते हैं, जब इस देश की समृद्धि की बात करते हैं, जब इस देश को खुशहाल बनाने की हम बात करते हैं तो जाहिर है कि 52 प्रतिशत लोगों को हम इससे अलग नहीं रख सकते । हमें उन्हें भागीदार बनाना पड़ेगा, उन्हें हिस्सेदार बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमें 52 प्रतिशत लोगों को भी आगे विकसित करना है । अगर हम देश को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं तो देश तभी समृद्धिशाली होगा, तभी विकसित होगा जब इन लोगों का भी विकास हो । अगर हम इन 52 प्रतिशत की प्रगति को हम इंकार करेंगे तो निश्चित तौर पर देश कमजोर होगा और देश भी मजबूत नहीं हो सकेगा । जब हम देश के विकास की बात करना चाहते हैं तो हमें यह सोचना होगा । मंडल कमीशन की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में जो यह तर्क दिया जाता है कि इससे समाज में बिखराव आयेगा, तनाव बढ़ जायेगा, समाज टूट जायेगा यह उचित नहीं । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो मनोवृत्ति है यह देश को आगे ले जा सकती । अगर यह मनोवृत्ति काम करती रही कि समाज के 52 प्रतिशत लोगों, अल्पसंख्यक लोगों को लाभ पहुंचाने से अगर समाज में बिखराव आता हो तो मैं कहना चाहता हूं कि बिखराव हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तनाव हो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं । क्योंकि हम इतने लोगों को उनके सुख से वंचित नहीं कर सकते । उन्हें हमें देश के विकास की धारा में जोड़ना

पड़ेगा, हमें उन्हें समृद्ध करना होगा । महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह मंडल कमीशन की सिफारिशें सिर्फ इसलिये नहीं हैं कि हम थोड़े से लोगों को नौकरी में जगह दे दें । बल्कि जो सिफारिशें और दूसरी बातों का प्रावधान किया गया है, दूसरी बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है उधर ध्यान देना चाहिए ताकि हम उनकी स्थिति मजबूत कर सकें चाहे वह शिक्षा का मामला हो और चाहे वह वित्तीय सहायता का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, जो सुविधायें उन्हें देने की बात है वे सुविधायें हम उनको दें । आज हम देखते हैं कि नौकरियों में हालत क्या है । जब हम हिन्दुस्तान में नौकरियों की बात लेते हैं तो देखते हैं कि 60 से 90 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में सिर्फ एक जाति के लोग भरे पड़े हैं । जब हरिजनों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया तो 22 प्रतिशत उनका आरक्षण था और उसके आधार पर 19 प्रतिशत तक वे लोग पहुंच सके हैं, जब कि आरक्षण दिया गया। लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जहां उनकी संख्या 52 प्रतिशत है, वहां मुश्किल से 12 प्रतिशत आये हैं । लेकिन प्रथम श्रेणी की नौकरियों में आधा परसेन्ट भी नहीं है, 0.4 प्रतिशत है । जब हम नौकरियों में हिस्सेदारी देखते हैं, उनके प्राप्त स्थानों को देखते हैं तो वह नगण्य हैं । मैं तीन माननीय सदस्यों की बातें ध्यान से सुन रहा था । महोदय, जब रुद्र प्रताप सिंह जी बोल रहे थे तो उनकी बात मेरी समझ में आ रही थी । क्योंकि रुद्र प्रताप सिंह जी वशिष्ठ से ले कर इन्दिरा तक की विचारधारा जो है जो कट्टरपंथी विचार-धारा है जो यथास्थितिवाद की विचार-धारा है उसी बोली में वे बोल रहे थे । लेकिन जब चांद राम जी बोल रहे थे तो मुझे यह लगता था कि अज्ञान में वे बोल रहे हैं क्योंकि वे स्वयं अपने हक को अपने हाथ से काटना चाहते हैं । उनके अज्ञान के कारण मैं उनकी बात नहीं कहना चाहूंगा । लेकिन जहां भट्टा-चार्य जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा कर के हम समाज को विखण्डित करना चाहते हैं और बहुसंख्यक लोगों को राजकाज में हिस्सेदारी दे कर भाग्य का निर्माण करने में और हम यह देखते हैं कि इससे समाज में तनाव हो जाएगा समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा । जिस समाज में मुझको अपने हक से वंचित किया जाएगा उस समाज के भरण पोषण के लिए या उस समाज की सुख समृद्धि के लिए उस समाज की आधार-शिला बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं बल्कि राज्य की हिस्सेदारी में भी हम हक चाहते हैं और हम भी एक नम्बर की जगह पर जाना चाहते हैं । हम वहां जाना चाहते हैं जहां आप हैं, होते हैं और दूसरे होते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बात समाज के विकास के लिए और देश के विकास के लिए है और राष्ट्रीय विकास की धारा को मजबूत करने के लिए यह बात मैं कहना चाहता हूं । वहीं मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हम सवाल करते हैं कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए क्यों दिया जाए ? आज हम पिछड़े हैं इसका क्या कारण है । पिछड़े क्या हम स्वतः हो गये या मुझ को किसी ने पीछे रखा । हम विकास की दौड़ में पीछे छूट गये इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है । मुझ पर, उस पर जो पीछे छूट गये हैं या उस पर जो व्यवस्था का मालिक था ? जो राज्य का मालिक था उसने हमें पीछे रखा । इस व्यवस्था को हमें देखना होगा । किस व्यवस्था

[डा० महावीर प्रसाद]

के मातहत हम पीछे छूट गये । मैं तो मनु स्मृति की चर्चा नहीं करुंगा जिसका जिक्र पहले किया गया है हमें कैसे अपने अधिकारों से वंचित किया गया ? मैं कहना चाहता हूं कि शिवाजी को राज्याभिषेक करने से इन्कार करना, एकलव्य का अंगूठा काट लेना, शम्बूक की हत्या कर देना, इसका क्या कोई आर्थिक आधार था ? निश्चित तौर पर सामाजिक आधार था, सामाजिक कारण था और जिस मनु स्मृति की चर्चा की गई जिसमें हमें पढ़ने से रोका गया था जिसमें हमें विकास के लिए जो कारण हो सकता है उससे अलग रखा गया । यह बात की जाती है तो निश्चित तौर पर इस बात को देखना पड़ेगा कि हम स्वयं पीछे नहीं हो गये थे बल्कि जो राज्य की व्यवस्था के मालिक थे उसने मुझे विकास से पीछे रखा था । मुझ को समानता के साथ अवसर नहीं दिया गया जिस की मारफत हम भी उनकी श्रेणी में आते और हम भी पीछे नहीं छूटते । जो गलती पुरखों ने की, जिन लोगों ने की उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते और अगर हमारे पुरखे पीछे छूट गये किसी की साजिश के कारण किसी की नीति के कारण तो हमें उसके लिए दण्ड नहीं भोगना चाहिये । बल्कि आज जब वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है तो हमारा भी कल्याण देखने का हक है और इसलिए हमें भी उस जगह पर जाना है । महोदय, दिनकर ने कहा था--

पापी कौन मनुष्य है उसका न्याय चुराने वाला,
या कि विघ्न खोजते न्याय
का शीश चुराने वाला ।

हम हक चाहते हैं जिसके आधार पर हम भी समाज के दूसरे वर्गों की तरह या तथाकथित जो बढ़े हुए लोग हैं उनकी बराबरी में आ सकें । और हम उस ढंग से उस जीवन स्तर का जीवन बिता सकें । मैं अंत में अपनी बात कहते हुए समाप्त करता हूं इस देश की 635 देशी रियासतें थीं । इन सब में सिर्फ बड़ी जाति के लोग क्यों राजा-महाराजा हो गये, पिछड़ी जाति के लोग राजा महाराजा क्यों नहीं हो गये ? ऐसी कौन सी ऐतिहासिक भूमिका थी, ऐसा कौन सा तथ्य है जिसके आधार पर बड़ी जाति के लोग राजा महाराजा होते थे । छोटी जाति के लोग नहीं हो सकते थे । इसका कोई न कोई कारण है और उसको ढूंढना पड़ेगा और इसका निदान करना पड़ेगा । निदान यह है कि आज जिस विकास की धारा को आप बहाना चाहते हैं निश्चित तौर पर उसमें समानता के साथ हमें आगे बढ़ा कर आप ले कर चलेंगे तो आप की जो राजनीति होगी, वास्तविक नीति होगी और मैं यह बात कहना चाहता हूं जो विचार पंडित जवाहर नेहरु ने व्यक्त किए थे मैं उनका प्रति श्रद्धानत हूं । लेकिन मुझे आश्चर्य होता है महोदय जब 1951 में काका कालेलकर कमीशन का गठन किया गया और 1952 के चुनाव के दो वर्ष बाद जब उसके रिकमेंडेशन आ गये तो उसके बाद भी उनको लागू नहीं किया गया और आज भी वह लागू नहीं किया जा रहा है । तो ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसने श्री जवाहर लाल जी को जो कि इतने उदारवादी थे, इतनी सहानुभूति रखते थे, कौन सा ऐसा कारण रहा होगा जिस कारण ने उनको मजबूर किया होगा कि निश्चित तौर पर वह रिकमेंडेशन रखा ही नहीं गया उसके मानने की बात तो अलग है । श्रीमन्, रजनी कोठारी की बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । महोदय, रजनी कोठारी ने कहा है कि "भारत में के लोग जो राजनीति में जात पात

की शिकायत करते हैं वे वास्तव में उस प्रकार की राजनीति की तलाश में हैं जिसका समाज में कोई आधार नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सामाजिक गतिशीलता का अन्तराल बढ़ता जा रहा है और जात पात के कुछ परम्परागत लक्षण अनिवार्य रूप से कमजोर हो गये हैं किन्तु जाति ने धर्म विधि मोर्चे पर जो कुछ खोया है उससे कहीं ज्यादा इसने राजनीतिक मोर्चे में पाया है।" इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर देश के विकास के लिए देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए और पीछे जो आपने पाप किया है या न्याय किया, जिन कारणों से हम पीछे छूटे हैं, उनको सूद सहित देते हुए अब हमें वह अधिकार दीजिए कि हम आम लोगों की तरह जिंदगी व्यतीत कर सकें और बड़े ऊंचे लोगों की बराबरी में हम भी बैठ सकें, रह सकें और सम्पूर्ण रूप से हम इस देश के राजकाज के कामों में भी हिस्सेदार हो सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि बी.पी. मंडल कमीशन की सिफारिशों को जैसे वे हैं वैसे ही लागू किया जाये उसमें किसी तरह का परिवर्तन निश्चित तौर पर आपकी नीयत पर शक का कारण बनेगा।

श्री लाडली मोहन निगम : उपसभापति महोदय, मेरा नाम है।

श्री उपसभापति : अगले सेशन में होगा तो कर लीजिएगा उनको जवाब देने दीजिए पौने पांच घंटे हो गये।

श्री लाडली मोहन निगम : तो क्या फर्क पड़ा है...मैं मुद्दे की बात कहना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : बहुत से मुद्दे आ गये हैं...बहुत से आइटम्स हैं, घंटा और लगेगा।

श्री लाडली मोहन निगम : 12 बजे तक बैठाइये...मैं कभी किसी ऐसी चीज पर नहीं बोलता हूं..मैं आपसे जो कह रहा हूं कि दो मिनट में...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइये निगम जी...जरा सुनिये...(**व्यवधान**) कोई बात छूटेगी तो फिर कहिएगा... फिर पूछ लीजिएगा।

श्री लाडली मोहन निगम : फिर कैसे कहूंगा...

श्री उपसभापति : अब इनको बोलने दीजिए फिर बुला लूंगा...(**व्यवधान**) आप बैठिये मैं आपको बुला लूंगा।

SHRI P. C. SETHI: Sir, I am grateful to the hon. Members for their contributions to today's debate on the report of the Mandal Commission on Backward Classes. I share with the hon. Members the concern about the prevailing socio-economic conditions of the backward classes and the suggestions in the context of the Mandal Commission for the improvement of their socio-economic standing in life. The Government fully share the concern and our planning policy has been conditioned by the different kinds of innovations made from time to time in this respect.

Sir, the House is aware that our Party has been responsible for many a movement towards creation of a society based on social justice. We have always kept in view the feelings, hopes, fears and aspirations of the various groups in our pluralistic society. We have arrived at a stage when we no longer reckon the age-old resignation of our masses as an essential parameter of socio-economic engineering. We know that they no longer accept a nebulous fate as what has kept them backward. Our effort all along has been to provide the en-

[Shri P. C. Sethi]

vironment and facilities for assisting these sections to move forward.

It is true that in the fourth decade of our independence, in spite of the tremendous and visible strides made in almost all fields; we have not been able to declare to ourselves with self-assurance that we have achieved an egalitarian society based on social justice. We are aware that in spite of our best efforts, it has not always been possible to attain the goals we have set for ourselves in the great adventure of nation building but I would like to assure this House that the Government is firmly committed to the safeguarding of the socio-economic interest of all our people who belong to our pluralistic society. The plans we draw and successively implement to achieve these objects and ideals constitute a necessarily continuous process.

The policies pursued by the Government all these years have been guided by the concept of equal opportunity and social justice. Consistent with the concept of a welfare State, the Government have been providing all support within the constitutional framework to the socially and educationally backward classes. The Government is committed to this concept and would continue to act in a manner that would emancipate these classes from discreminatory social treatment.

Government of India had, from time to time, persuaded the State Governments to appoint Commissions to prepare list of socially and educationally backward classes to provide them weightage in the educational and employment spheres and the same have borne considerable fruits. Needless to say much is still to be desired in this respect.

While referring to the Commission whose report has been discussed today, I would like to remind the House that although this Commission had been appointed by our predecessor Government, we have made available to it all possible help and cooperation.

The Commission after surveying the situation has made several useful and meaningful recommendations. However, there are some recommendations which deserve to be studied in depth.

It undoubtedly requires a careful and thorough examination and scrutiny, and this has been undertaken by the Government. I assure the hon. Members that this Government would not spare any effort to accelerate our pace towards realising the objects of equality and social justice and all processes necessary towards that end would be duly adopted.

A brief review of the Commission's recommendations would seem appropriate. The Commission had evolved as many as 11 criteria for declaring a group of people as backward. They did a tremendous amount of work to collect data relevant to these 11 criteria and conducted a large-scale study. However, when this data was analysed, the Commission found that it gave rise to many anomalies which were not compatible with the accepted norms for backwardness. The result was that in order to prepare its own list, the Commission had to rely more on the lists already announced by the State Governments, the data provided by the Registrar-General and also the personal knowledge of some of the members. And, what has happened? The Commission has recommended 3,743 communities to be declared as backward as compared to the list prepared by Kaka Kalelkar which included only 2,309 communities.

Then again, the criteria made applicable to the Hindu backward classes and those belonging to non-Hindu groups are different and not all equitable. In the list prepared by the Mandal Commission, some communities which are already in the schedule of castes have been included in the list of backward classes. For example, Pulaya community which is included in the list of Scheduled Castes in Kerala has come to figure in the list of backward classes prepared by

Mandal Commisson. This exercise was not even within the terms of reference of the Commission.

Further, Scheduled Castes converts to Christianity have received different treatment in different States. Then again, some lists contain names of communities which cannot *prima facie* be considered as backward. For example, in Andhra Pradesh, the Report has included in this list some forward communities like Perikalu-Reddy, Teleza-Kamma Vidiki, Niyogi. In Assam, they have reckoned Bhuyan, Chowdhuri, Kayastha (Bengali), Kshattriya and Rajput as backward communities, but these communities cannot be judged as backward by any criterion. In Karnataka, the Commission has included the Lingayat and the Vokkaliga which cannot be considered backward by any stretch of imagination. Similarly, in Bihar, they have included Patnaiks and Pradhans in the list of Backward Classes. In Haryana, Punjab and Himachal Pradesh, Gorkhas and some Jat communities have also been included in the list. In Tamil Nadu, Kattus find their place in the list. It would be assuming a high degree of credulousness to expect of this august House to accept the Commission's findings *in toto* in that manner. It is, therefore, necessary to examine this list carefully and ensure that the benefits which should go to the deserving communities are not given away to the undeserving many. My submission is, the criteria for accepting a community as backward have to be such that they stand the test of social and educational backwardness. This is what is being examined in the Committee of Secretaries. The Committee of Secretaries has been asked to give its recommendations within a month. I am glad to inform the House that Government have very recently appointed a Committee of Ministers which will go through the recommendations made by the Committee of Secretarise to ensure that the recommendations are fair, just and satisfactory. We have also to consult the State Governments. It is absolutely necessary to do so because ultimately the brunt of these recommendations will fall on them.

I may bring to the notice of the hon. Members that there is no uniformity among the States in their views on the Mandal Commission's Report. A large number of States have not been able to send their comments so far. Some of the States have suggested that economic criteria should be adopted for determining the status of Backward Classes. Some States have declared that they do not accept the Mandal Commission's Report at all. All these factors will have to be considered and the States will have to be persuaded to fall in line with the constitutional concepts and it will be only appropriate if there is a uniformity of approach, as between the Centre and the States. The Central Government, on its part, will make all efforts to see that the concept of social justice remains no more a slogan but it becomes a tangible reality in this country. There are recommendations made by the Commission which are useful and could be acceptable, but you will agree that it would only be proper that the recommendations of the Commission are thoroughly examined and the Government takes a total view of the subject.

So far as reservation in the services is concerned, most of the State Governments have already announced their list of Backward Classes for this purpose which, to some extent, has reached a saturation point. Therefore, the House will agree that it would not be advisable for the Central Government to suggest a certain change in the existing pattern in the States without consulting them. So far as the Central Government is concerned, there are already reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and, furthermore, the Mandal Commission has recommended certain things. We have a sympathetic view towards this and we are examining it with thoroughness so that we can reach a conclusion at the earliest.

(Shri P. C. Sethi)

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: What is the use of making a general statement? He should say by which time the recommendations will be implemented, say, three months, six months or whatever is the period.

श्री लाडली मोहन निगम : आपने अपने वक्तव्य में ऐतिहासिक कारण गिनाये हैं । मैं सिर्फ एक बात की सफाई चाहता हूं । आप को मालूम है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में सात सौ वर्ष जो हम गुलाम बने उस का मुख्य कारण क्या था ? उस का सब से बड़ा मुख्य कारण आपसी फूट नहीं बल्कि अवाम की निराशा थी । आप ने जब योग्यता का आधार कहा है तो यह भी मान लेता हूं कि योग्यता का आधार जन्म नहीं आर्थिक मानते होंगे । अगर आर्थिक है तो अवसर चाहिए, बिना अवसर के आर्थिक आधार नहीं बन सकता जब तक इस देश में अवसर मुश्किल हैं तब तक आर्थिक आधार को नहीं माना जा सकता । मामला बिलकुल साफ है कि हिन्दुस्तान में आजादी के बाद नौकरियों की तादाद कम हुई, उस के अनुपात में लोगों की मांग ज्यादा हुई । ऊंची जातियों में जिन को अवसर मिलते थे–चाहे किसी कारण– आज उन को भी खतरा पैदा हो गया है क्यों कि नीचे के लोग भी आ रहे हैं । साफ है कि लोगों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के लिए समाज में अवसर मिले, व्यापार में मिले, नौकरी में मिले । अगर कर्म के आधार पर जातियां बनेंगी तो कर्म के आधार पर समाज में मूल्य भी निश्चित कीजिए । जो कलेक्टर की पगार हो वही भंगी की भी हो तो मैं समझता हूं कि बहुत से ब्राह्मण भी भंगी का काम करने आ जायेंगे । अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और यह कभी भूलियेगा नहीं । मुझे लगता नहीं कि हिन्दुस्तान में जिस तरह का जाल है और जो आप के बगली मार कर निकल जाने की बात है उसे ; कुछ हो सकता है । इस तरह बहस हो सकती है लेकिन इस से ज्यादा अच्छा था कि आप के आब्जरवेशन्स पर बहस होती । आज यह दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान में नयी नयी जातियां पैदा हो रही हैं । जो जिस वर्ग का अफसर है उस वर्ग की उस की औलादें भी बनती आ रही हैं । जाति एक ही जगह टूटती है और वह जगह है बिस्तर । लेकिन उस को अंगीकृत करन का जब तक समाज ठेका नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं बन सकता । इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में लान के लिये समान अवसर का सिद्धांत बदलिये । विशेष अवसर का सिद्धांत आप को लागू करना पड़ेगा और हम ने अगर अलगांव पैदा किया तो मुल्क का बंटवारा हो जायेगा । गांधी जी के उस 1934 के अनशन को मत भूलिये । 1935 का विधान जब बन रहा था उस समय कम्युनल एवार्ड को कबूल कर लिया जाता और बिरादरी के अनुसार वोट मांग लिये होते तो पता नहीं कितने बन जाते, लेकिन अगर आप ने इस बात को नहीं माना तो हिन्दुस्तान सामानता के आधार पर नहीं टूटेगा बल्कि जाति के आधार पर टूटेगा ।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Mr. Deputy Chairman, I just wanted to ask one thing. By what time he is going to implement the recommendations? (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is over now.

ANNOUNCEMENT REGARDING CONTEMPT OF THE HOUSE BY A VISITOR VIJAY KUMAR KESARWANI

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that today at